

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
-वैद्यक कार्यवाही विवरण-

सहायक रेडियोग्राफर सीधी भर्ती 2023 वायत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञापित दिनांक 31.05.2023 के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के परस्तावेज सत्यापन उपरान्त भर्ती एजेसी द्वारा तैयार की गई अंतरिम परीयता सूची 01.10.2023 का प्रकाशन किया जाकर ऑनलाइन परीवेदनाओं आमंत्रित की गई। जिसके क्रम में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 3357-60 दिनांक 23.04.2024 के द्वारा सहायक रेडियोग्राफर की कुल 160 परीवेदनाओं (डुप्लीकेट परीवेदनाओं को गणना में सम्मिलित नहीं करते हुये) निदेशालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुई है, जिनके निस्तारण के हेतु संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (दुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में गठित परीवेदना निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 14.03.2024 एवं निरस्तता में दिनांक 24.04.2024 को दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू), जयपुर में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर	राज्य, सचिव
2	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
3	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
4	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
6	रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
7	उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय	सदस्य
8	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	सदस्य

बैठक में प्राप्त ऑनलाइन परीवेदनाओं पर घर्षा कर एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	आईडी	परीवेदना का विवरण	वस्तुपरक टिप्पणी	परीवेदना समिति का निर्णय
1	जोगेन्द्र कुमार आदीवाल	ARN109124	मेरे सहायक रेडियोग्राफर पद के लिये आवेदन किया है, जिसमें मेरा दस्तावेज सत्यापन दिनांक 22.08.23 को समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर करवा दिया गया था। मेरे अनुसार मेरे एंक्रोडमिक अंक 73.167 प्रतिशत है। सीफू द्वारा जारी प्रोविजनल लिस्ट में मेरा अनुसूचित क्षेत्र की कटऑफ में अनुसूचित जाति का सामान्य का कटऑफ 41.837 प्रतिशत रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा प्रतिशत कटऑफ प्रतिशत से ज़्यादा होने के उपरान्त भी मेरा अंतरिम बरियता सूची में नाम नहीं आया है। सूची में नाम किस कारण से नहीं आया है। उक्त सम्बन्ध में मूल यास्तविक स्थिति से अवगत करवाने का श्रम कराये।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा देहली बोर्ड-एण्ड सीनियर सैकण्डरी एजुकेशन, देहली से उत्तीर्ण की है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा चुका है।	समिति द्वारा परीवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
2	रोहित नाटी	ARN114968	अभ्यर्थी ने परीवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 57.846 प्रतिशत का उल्लेख करते हुये अंतिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक बताते हुये दस्तावेजों का पुनः अवलोकन कर यशयता सूची में सम्मिलित किये जाने वास्तव निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा प्रारखण्ड स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण की है जो विज्ञापित की शर्तानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	समिति द्वारा परीवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
3	सैफ अली	ARN104309	अभ्यर्थी ने परीवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 55 प्रतिशत का उल्लेख करते हुये अंतिम कटऑफ प्रतिशत से अधिक बताते हुये समस्या का जल्द समाधान करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा का सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन से उत्तीर्ण की है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान द्वारा जारी अनुदेशिका-2020 के अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा चुका है।	समिति द्वारा परीवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

31.5.24

[Handwritten signatures and initials]

4	अनुपम जंगम	ARN110638	कोविड अवधि में कारगरत अनुभव अवधि के बोनस मार्कर जोड़ने हुये अंतरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने यावत।	अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान एवं प्रस्तुत परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करीबी द्वारा कोविड हेल्थ सहायक (सीएचए) पद का 242 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जबकि नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानानुसार समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय होगा। इस प्रकार रिट याचिका संख्या 19977/2022 लालाराम बनाम सरकार में एवं 14080/2023 राजेन्द्र कुमार देवीयाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 38.995 प्रतिशत घनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.784 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थी को अंतरिम वरियता सूची में स्थान प्रदान नहीं किया गया।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
5	पंकज माधुर	ARN116145	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को 1163 दिवस का राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली में अनुभव बताते हुये बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाकर अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने यावत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली द्वारा दिनांक 29.05.2015 से 03.08.2018 तक कुल 1151 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जबकि अभ्यर्थी ने रेडियोग्राफर डिप्लोमा वर्ग 2022 में उत्तीर्ण किया है चूंकि अभ्यर्थी को आरपीएमसी द्वारा प्रथम बार रेडियोग्राफर दिनांक 16.05.2023 को जारी किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थी को अनुभव अवधि आरपीएमसी रेडियोग्राफर से पूर्व की होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका सं. 15214/2023 माधव सिंह चौहान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने रेडियोग्राफर से पूर्व के अनुभव को मानने से इंकार कर दिया है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
6	पूरुष मेल	ARN103602	मैंने नागौर जिले के सीएचसी मारोत में 09 माह 06 दिन तक कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पर कोविड-19 में कार्य किया था जिसका अनुभव प्रमाण पत्र अधिकारी, सीएनएचओ नागौर एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन अजमेर द्वारा जारी किया गया था। मैंने मूल आवेदन के साथ संलग्न किया था। जिसका सत्यापन करवा कर मुझे इसका लाभ दिया जाये।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अद्योक्त संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 280 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करवा जा चुका है जिसके अनुसार अभ्यर्थी का कार्य कोविड स्वास्थ्य सहायक का होना पाया गया है जो सहायक रेडियोग्राफर के कार्य के समान नहीं है। गती, नियम 1965 के नियम 19 के अनुसार केवल समान कार्य का अनुभव होने पर ही बोनस का लाभ देय है। अतः अभ्यर्थी को पूर्व में दिया गया बोनस शून्य करते हुए मेरिट में यथास्थान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही पूर्व में डाला गया रिमांक भी हटाया जाना प्रस्तावित है। रिट याचिका संख्या 1669/2022 नरेन्द्र वरवाल में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पदनाम नहीं अतिपु पद पर सम्पादित कार्य से बोनस के मिलने या नहीं मिलने का निर्धारण किया जायेगा। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार देवीयाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सखती से पालना के निर्देश दिये हैं।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
7	सुरेन्द्र	ARN115348	प्रार्थी के वरियता सूची में रिमांक SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY लगा रखा है। जो कि मेरे कुल 6 अनुभव प्रमाण पत्र ओरिजिनल व सत्य है। मेरी परिवेदनाओं का निस्तारण कर चयन सूची में शामिल करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 30 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया था। चूंकि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, नवलगढ़ द्वारा पूर्व में जारी 433 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र में यास्तविक भुगतान 110630 रु मात्र होना प्रमाणित किया है अतः तदनुसार यह कार्य अवधि मात्र 388 दिन होती है जिससे इनका कुल अनुभव 1065 दिवस का रह जाने से केवल 20 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही रिमांक हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
8	आरुथा	ARN105956	मेरे द्वारा सहायक रेडियोग्राफर का आवेदन पत्र ई-मित्र के माध्यम से भरवाया गया है, जिसमें ई-मित्र संचालक द्वारा नुदियश/सहयन से मेरे आवेदन पत्र में ओ.पी.सी. नॉन किमिलेयर के स्थान पर ओ.पी.सी. किमिलेयर भर दिया गया है, जबकि प्रार्थीया ओ.पी.सी. नॉन किमिलेयर वर्ग से आती है। आपके द्वारा दस्तावेज सत्यापन की नियमित दिनांक 22.08.2023 को भी प्रार्थीया द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाये गये एवं दस्तावेज सत्यापन करने वाले अधिकारी महोदय को भी उपरोक्त नुटि से अवगत करवाया गया एवं साथ ही दिनांक 11.09.2019 को जारी अन्य पिछड़े वर्ग ओ.पी.सी. नॉन किमिलेयर का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। आपके कार्यालय द्वारा पत्रांक 10006 दिनांक 01.02.2023 के माध्यम से जारी सहायक रेडियोग्राफर अंतरिम वरियता सूची में प्रार्थीया का नाम नहीं है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों, जिनकी कट ऑफ प्रार्थीया से भी कम है, उनका उचित अंतरिम वरियता सूची में नाम है। मेरे प्रार्थना पत्र में वर्णित सध्यों को ध्यान में रखते हुए वर्णित आवश्यक संशोधन करने एवं प्रार्थीया का नाम अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने का अग्र कार्या है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी सीएल वर्ग में किया गया तथा आवेदन शुल्क 500 रुपये भुगतान किया गया है जो कि अनारक्षित/ओबीसी सीएल वर्ग के लिये निर्धारित किया गया था। नुदि, पुकार का अवरार दिये जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किया गया नाही दस्तावेज सत्यापन तक भी ओबीसी नॉन किमिलेयर वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं नाही परिवेदना में कोई ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः मात्र अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिये गये शपथ पत्र के आकार पर यह नहीं माना जा सकता है कि यह आवेदन के समय नॉन किमिलेयर वर्ग में पात्र अभ्यर्थी था।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp, and several initials and marks on the right.

9	मोहित कुमार कुमावत	ARN111976	<p>सहायक रेडियोमॉडर के पद पर विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2023 को जारी अन्तिम परियोजना सूची में मेरा नाम कम सं0 347 पर सम्मिलित है, जिसमें विभाग द्वारा मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) का प्रमाण पत्र चाहा गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे द्वारा मेरा मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमीलेयर) का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग से ऑनलाईन आवेदन किया है तथा आवेदन शुल्क 350 रुपये का भुगतान किया है जो ओबीसी एनसीएल वर्ग के लिये निर्धारित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ओबीसी सीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके कारण अभ्यर्थी का चयन ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अत्यावृत्त अंतरिम शरीयता सूची में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ 03.10.2023 को जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय 20.03.2023 को जारी ओबीसी क्रिमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 20.03.2023 को जारी ओबीसी क्रिमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र ही पुनः प्रस्तुत किया गया जो कि आवेदन से पूर्व ही जारी हो चुका था इस बात को सिद्ध करता है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय ओबीसी नॉनक्रिमीलेयर श्रेणी का सदस्य नहीं था और उसने जानबूझकर सामान्य/ओबीसी सीएल श्रेणी की जगह ओबीसी एनसीएल श्रेणी का आवेदन किया एवं शुल्क राशि भी स्वयं की श्रेणी की नहीं जमा कराई। अतः अभ्यर्थी की पात्रता ही निरस्त की जानी चाहिये। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के क्रम में अभ्यर्थी की परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।</p>
---	-----------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

य
31-39

2

Br

10	रूपेश नागर	ARN109002	<p>सहायक रेडियोग्राफर के पद पर विभाग द्वारा दिनांक 01.10.2023 को जारी अन्तरिम धरियता सूची में मेरा नाम क्रम सं 380 पर सम्मिलित है, जिसमें विभाग द्वारा मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमिलेयर) का प्रमाण पत्र चाहा गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे द्वारा मेरा मेरा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमिलेयर) का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ।</p>	<p>अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग से ऑनलाईन आवेदन किया है तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ओबीसी सीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके कारण अभ्यर्थी का चयन ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अभाव में अंतरिम धरियता सूची में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिचयपत्र के साथ 03.10.2023 को जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।</p>	<p>परिचयपत्र समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय 25.11.2022 का जारी ओबीसी क्रिमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया गया और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 25.11.2022 को जारी ओबीसी क्रिमीलेयर वर्ग का प्रमाण पत्र ही पुनः प्रस्तुत किया गया जो कि आवेदन से पूर्व ही जारी हो चुका था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभ्यर्थी आवेदन के समय ओबीसी नॉनक्रिमीलेयर श्रेणी का सदस्य नहीं था और उसने जानबूझकर सामान्य/आवसी सीएल श्रेणी की जगह ओबीसी एनसीएल श्रेणी का आवेदन किया एवं शुल्क राशि भी स्वयं की श्रेणी की नहीं जमा कराई। अतः अभ्यर्थी की पात्रता ही निरस्त की जानी चाहिये। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के क्रम से अभ्यर्थी की परिचयपत्र स्वीकार योग्य नहीं है।</p>
11	दिलश्याद अहमद	ARN111722	<p>अभ्यर्थी द्वारा परिचयपत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय में विचारधीन प्रकरणों के तहत परिणाम रोके गये अभ्यर्थियों का नियामक करने, आईडी संख्या ARN102140 Roshan Khan, ARN114351 Kishan Chejara की आयु अधिकतम सीमा पार करने पर गृह्य करने, आईडी संख्या ARN115348 Surendra की पंजीकरण दिनांक से अनुभव की गणना करने, आईडी संख्या ARN115390, ARN113089, ARN116888, ARN103602, ARN117533, ARN113963, ARN115563, ARN116589, ARN113082, ARN117658 के पंजीकरण दिनांक से कोरोना अवधि में दिये गये अनुभव की जाँच कर एवं आईडी क्रमांक ARN120954 का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत करवाते हुये उपरोक्त पर गहन विचार कर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।</p>	<p>जिन अभ्यर्थियों का परिणाम माननीय न्यायालय में प्रकरण विचारधीन होने के कारण रोका गया है उन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आयुसीमा की गणना विधि में दी गई शर्तों के अनुसार की गई है तथा ही कार्मिक विभाग द्वारा 2024 तक की भर्तियों हेतु दी गई छूट को भी शामिल किया गया है। आईडी संख्या ARN115348 की पंजीकरण दिनांक परचात अनुभव की गणना किये जाने पर 03 वर्ष से कम का अनुभव बनता है। चूंकि अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनुभव जारीकर्ता अधिकारी द्वारा कराया जाना है अतः अंतिम दौर पर अनुभव प्रमाणपत्र जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आईडी क्रमांक ARN115390, ARN113089, ARN116888, ARN117533, ARN113963, ARN115563, ARN116589, ARN113082, ARN117658 पर अंकित अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएमसी पंजीकरण दिनांक परचात कोरोना अवधि में कार्य किया गया है, ARN103602 का अनुभव सीएचए पोस्ट पर होने के कारण शून्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके आधार पर नियमानुसार (राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.2023 अनुसार) 16 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये हैं। आईडी क्रमांक ARN120954 के संबंध में पूर्व में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संतोच में सूचना प्रेषित नहीं की गई थी इसलिये अभ्यर्थी को भर्ती प्रतियोगिता में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है। अतः उक्त अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>परिचयपत्र समिति द्वारा प्रारम्भ में विचार किया गया अभ्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम धरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिचयपत्र प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिचयपत्र निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

12	कुनाल उपाध्याय	ART112052	अर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को मात्र अर्थी बताते हुये चार अर्थियों की आईडी क्रमांक 1: ART109704 2. ART107657 3. ART102746 4. ART109395 अंकित करते हुये इनकी व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण संदिग्ध होने की संभावना से अवगत कराया है तथा चार अर्थियों श्री मनीष कुमार, श्री निजुंज पाण्ड्या, श्री कुलदीप उपाध्याय एवं श्री विजय चारपोटा जो कि फर्जी अर्थी हैं, को कोर्ट के माध्यम से गती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जिससे वारतविक अर्थी का हक छीना गया है। अतः वास्तविक अर्थियों को अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वास्तु निवेदन किया है।	अर्थी द्वारा प्रस्तुत परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांकों ART109704, ART107657, ART102746, ART109395 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनको अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया है। इन अर्थियों की व्यावसायिक योग्यता का सत्यापन संबंधित राज्य से होने के उपरान्त ही परिणाम जारी किया जायेगा। आईडी क्रमांक ART107657 श्री जितेंद्र बरियता का अंतरिम वरियता सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होना दर्शाया गया था जिसके आधार पर अर्थी को अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया गया था। चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अर्थी का पंजीकरण नहीं होना बताया गया है। अतः उक्त अर्थी को पत्राचार द्वारा अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना प्रस्तावित है। परिवेदना में उल्लेखित अन्य चार अर्थियों श्री मनीष कुमार आईडी क्रमांक ART120477, श्री निजुंज पाण्ड्या आईडी क्रमांक ART120469; श्री कुलदीप उपाध्याय आईडी क्रमांक ART120284 एवं श्री विजय चारपोटा आईडी क्रमांक ART119493 के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन होने के कारण भती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है जिसपर माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
13	जयनारायण गुर्जर	ARN106498	अर्थी ने परिवेदना के साथ 76 अर्थियों की सूची संलग्न कर सूची में उल्लेखित अर्थियों का पंजीकरण राजस्थान पैरामेट्रिकल् कोसिल में नहीं होना बताकर इन अर्थियों को भती प्रक्रिया से बाहर करने हेतु निवेदन किया है।	अर्थी द्वारा संलग्न सूची में 76 अर्थियों में से 73 अर्थियों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन होने के कारण इन्हें भती प्रक्रिया में सम्मिलित कर अंतरिम चयन पश्चात् परिणाम रोकना गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी तथा शेष 03 अर्थियों आईडी क्रमांक ARN109772, ARN117925 एवं ARN116488 के प्रकरणों में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण नहीं होना बताया है जिसके कारण उक्त तीनों अर्थियों की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय के पश्चात् कोई कार्यवाही की जायेगी वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
14	रविन्द्र कुमार	ARN110363	सीफू द्वारा जारी की गई प्रोविजनल सूची में कुछ छात्र ऐसे हैं, जिनको चार रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन होल्ड पर रखा गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन वाले छात्रों का हक छीन रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कोविड के लार्ज में आया था। उनको भी 16 नम्बर दिये जा रहे हैं, जो असम्भव लग रहे हैं। उनके एप्लीकेशन आईडी निम्न प्रकार हैं- ARN110785, ARN119115, ARN118111, ARN119442, ARN120387, ARN120954, ARN116888, ARN103602, ARN113082, ARN117658, ARN116589 ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन वालों को बाहर करके एवं इनके वोनस अंक रिवेक करके योग्य छात्र-छात्राओं को फाइनल लिस्ट में मौका दिया जाये। क्योंकि रजिस्ट्रेशन न फॉर्म अप्लाई करने से पहले का होना चाहिये था।	आईडी क्रमांक ARN118111, ARN119442, ARN120387, ARN120954 के संबंध में प्रोविजनल सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में सूचना से अवगत नहीं कराया गया है जिसके सत्यापन के अभाव में अर्थी को भती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था। अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अर्थियों के पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। आईडी क्रमांक ARN110785, ARN119115 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पूर्व में पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया था जिसके आधार पर अर्थियों को भती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा उक्त तीनों अर्थियों के पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। परिवेदना में उल्लेखित शेष आईडी क्रमांक ARN116888, ARN113082, ARN117658, ARN116589 अनुभव के संबंध में चूंकि अर्थियों की अनुभव अवधि उनके पंजीकरण दिनांक पश्चात् कोरोना अवधि में कार्य किये जाने के कारण इन्हें 16 वोनस अंक प्रदान किये गये हैं, ARN103602 का अनुभव सीएचए पोस्ट पर होने के कारण सूच्य किया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
15	मोहित शर्मा	ARN105401	अर्थी ने श्री जयनारायण गुर्जर नामित परिवेदना संलग्न की है जो माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार चयनित 76+9 अयोग्य अर्थियों को बाहर कर योग्य अर्थियों को अंतरिम वरियता सूची में शामिल करने वास्तु। अर्थी द्वारा इन अर्थियों का पंजीकरण आर.पी.एम.सी. में नहीं होना बताया है।	अर्थी द्वारा संलग्न सूची में 76 अर्थियों में से 73 अर्थियों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन होने के कारण इन्हें भती प्रक्रिया में सम्मिलित कर अंतरिम-चयन पश्चात् परिणाम रोकना गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। तथा शेष 03 अर्थियों आईडी क्रमांक ARN109772, ARN117925 एवं ARN116488 के प्रकरणों में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण नहीं होना बताया है जिसके कारण उक्त तीनों अर्थियों की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय के पश्चात् कोई कार्यवाही की जायेगी वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अर्थी द्वारा केवल 76 अर्थियों की सूची ही संलग्न की है।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

16	रंजीत कांसोटिया	ARN106113	पैरामेट्रिकल छात्र एवं छात्राओं द्वारा परियोजना में अम्यर्थियों की एप्लीकेशन आईडी क्रमांक ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944 अंकित करते हुये इन अम्यर्थियों को फर्जी बताकर इन्हें वापस कर वार्षिक अम्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने वास्तु निवेदन किया है।	परियोजना में उल्लेखित 07 अम्यर्थियों में से 03 अम्यर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारणीय होने के कारण इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोकना गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 01 अम्यर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में दस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था। चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अम्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है, अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अम्यर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अम्यर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोकना गया था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	परियोजना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अम्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परियोजना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
17	शियांगी पुरोहित	ARN116270	अम्यर्थी द्वारा परियोजना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक की सूची अंकित कर इनकी पूर्ण जांच करने हेतु निवेदन किया है :- ARN110785, ARN119115, ARN118111, ARN120387, ARN112989, ARN115401, ARN118693, ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN119034, ARN115829, ARN118559, ARN118595, ARN101019, ARN102056, ARN105533, ARN105688, ARN105751, ARN106715, ARN107472, ARN107556, ARN107987, ARN119825, ARN112622, ARN117292, ARN113288, ARN116067, ARN113089, ARN114624, ARN103602, ARN117658, ARN113082, ARN116589, ARN117533,	आईडी क्रमांक ARN110785, ARN119115, ARN112989, ARN118693, ARN107987 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पूर्व के पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अम्यर्थियों का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके आधार पर इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है तथा आईडी क्रमांक ARN118111, ARN120387 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण की सूचना से अवगत नहीं कराया गया है जिसके कारण अम्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना था अब आरपीएमसी द्वारा इनका पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है जिसके कारण उक्त दोनों अम्यर्थियों की भी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। आईडी क्रमांक ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN119034, ARN115829, ARN118559, ARN119825, ARN112622, ARN117292 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारणीय होने के कारण इनको भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	परियोजना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अम्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परियोजना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
18	शाहरुख खान	ARN111668	अम्यर्थी द्वारा कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई अपितु एक सूची संलग्न की है जिस पर हाथ से टिप्पणी अंकित है- "recheck कर ले के आरपीएमसी से रीविफिकेशन चाकी है धरका।"	सूची में 09 अम्यर्थियों की आईडी दी गई है जिनका आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन जांच कर लिया गया है एक अम्यर्थी सुरेश प्रजापत आई0डी0 क्रमांक ARN120954 आरपीएमसी में पंजीकृत नहीं है। जिसके अनुसार अम्यर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।	परियोजना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अम्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परियोजना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
19	तेजवीर सिंह	ARN108768	अम्यर्थी द्वारा परियोजना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अम्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण इन्हें वापस बैच अम्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने वास्तु निवेदन किया है- ARN119855, ARN109772, ARN119727, ARN118722, ARN118543, ARN118574, ARN119654, ARN110785, ARN118693	परियोजना में उल्लेखित 09 अम्यर्थियों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारणीय होने के कारण उक्त अम्यर्थियों को वरियता सूची में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था जिनके प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा होने वाले अंतिम निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। शेष 02 अम्यर्थी ARN110785, ARN118693 के संबंध में वरियता सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा इनका पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा इनका पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके अनुसार उक्त दोनों अम्यर्थियों की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।	परियोजना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अम्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परियोजना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Handwritten signatures and initials in the bottom left area.

Handwritten signatures and initials in the bottom right area.

30	मनीष कुमार बोहरा	ARN115816	<p>1. अर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक के रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है:- ARN110785, ARN119115, ARN118111, ARN119442, ARN120387, ARN112989, ARN115401, ARN118693, ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN119034, ARN115829, ARN118559, ARN118595, ARN101019, ARN102056, ARN105533, ARN105688, ARN105751, ARN106715, ARN107472, ARN107556, ARN107987, ARN104638, ARN115041,</p> <p>2. निम्न लिखित आईडी क्रमांक के संबंध में अवगत कराया है कि इन अर्थियों को डीपी सूची में सम्मिलित नहीं कर सीधे ही अंतरिम बरियता सूची में सम्मिलित किया है:- ARN119825, ARN112622, ARN117292</p> <p>3. निम्नलिखित आईडी क्रमांक के कुल प्राप्तांक प्रतिशत प्रकाशित अंतिम कटऑफ प्रतिशत से कम होने के बावजूद भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित- ARN113288,</p> <p>4. निम्नलिखित आईडी क्रमांक के अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी होने से अवगत कराया है:- ARN116067</p> <p>5. प्रस्तुत परिवेदना के साथ सूची संलग्न की है जिसमें उनके द्वारा 'कुछ अर्थियों को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, अधिकतम आयुसीमा में छूट के संबंध में एवं आवेदन करने की अंतिम तिनांक परवाह भी आवेदन करने वाले अर्थियों का उल्लेख किया है।</p>	<p>1. आईडी क्रमांक ARN118111, ARN119442 and ARN120387 के संबंध में प्रविजनल सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में सूचना से अवगत नहीं कराया गया है जिसके सत्यापन के अन्वयेण अर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अर्थियों के पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है, आईडी क्रमांक ARN110785, ARN119115, ARN112989, ARN118693, ARN107987 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पूर्व में रजिस्ट्रेशन होना बताया गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। आईडी संख्या ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN115829, ARN118559, ARN119034 के पंजीकरण आरपीएमसी में नहीं है किन्तु इनके प्रकरण माननीय न्यायालय में विद्यमान हैं, अतः माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय के परवाह कार्यवाही की जा सकेगी। शेष आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>2. अर्थी द्वारा अंकित आईडी क्रमांक ARN119825, ARN112622, ARN117292 दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में क्रमशः क्रम संख्या 1160, 1158 एवं 414 पर अंकित है।</p> <p>3. आईडी क्रमांक ARN113288 के संबंध में अंतिम कटऑफ प्रतिशत अंतिम चयन सूची में संशोधित कर ली जायेगी।</p> <p>4. अर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनुभव जायिकर्ता अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। सत्यापन के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>5. अर्थी द्वारा संलग्न सूची में आईडी संख्या ARN110785, ARN119115, ARN107987, ARN112989, ARN118693, ARN107657 के संबंध में पूर्व में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया गया अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अर्थियों की आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अब आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः उपरोक्त अर्थियों की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के कारण जिन अर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया है उन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अर्थी द्वारा जारी अंतरिम बरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
31	रित्पन वत्रा	ARN116158	<p>1. अर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक के रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है:- ARN110785, ARN119115, ARN118111, ARN119442, ARN120387, ARN112989, ARN115401, ARN118693, ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN119034, ARN115829, ARN118559, ARN118595, ARN101019, ARN102056, ARN105533, ARN105688, ARN105751, ARN106715, ARN107472, ARN107556, ARN107987, ARN104638, ARN115041,</p> <p>2. निम्न लिखित आईडी क्रमांक के संबंध में अवगत कराया है कि इन अर्थियों को डीपी सूची में सम्मिलित नहीं कर सीधे ही अंतरिम बरियता सूची में सम्मिलित किया है:- ARN119825, ARN112622, ARN117292</p> <p>3. निम्नलिखित आईडी क्रमांक के कुल प्राप्तांक प्रतिशत प्रकाशित अंतिम कटऑफ प्रतिशत से कम होने के बावजूद भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित- ARN113288,</p> <p>4. निम्नलिखित आईडी क्रमांक के अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी होने से अवगत कराया है:- ARN116067</p>	<p>1. आईडी क्रमांक ARN118111, ARN119442 and ARN120387 के संबंध में प्रविजनल सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में सूचना से अवगत नहीं कराया गया है जिसके सत्यापन के अन्वयेण अर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अर्थियों के पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है, आईडी क्रमांक ARN110785, ARN119115, ARN112989, ARN118693, ARN107987 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पूर्व में रजिस्ट्रेशन होना बताया गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। आईडी संख्या ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN115829, ARN118559, ARN119034, के पंजीकरण आरपीएमसी में नहीं है किन्तु इनके प्रकरण माननीय न्यायालय में विद्यमान हैं, अतः माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय के परवाह कार्यवाही की जा सकेगी। शेष आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>2. अर्थी द्वारा अंकित आईडी क्रमांक ARN119825, ARN112622, ARN117292 दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में क्रमशः क्रम संख्या 1160, 1158 एवं 414 पर अंकित है।</p> <p>3. आईडी क्रमांक ARN113288 के संबंध में अंतिम कटऑफ प्रतिशत अंतिम चयन सूची में संशोधित कर ली जायेगी।</p> <p>4. अर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनुभव जायिकर्ता अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। सत्यापन के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अर्थी द्वारा जारी अंतरिम बरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

32	उमंग शर्मा	ARN109282	<p>1. अमर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक के रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है:- ARN110785, ARN119115, ARN118111, ARN119442, ARN120387, ARN112989, ARN115401, ARN118693, ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN119034, ARN115829, ARN118559, ARN118595, ARN101019, ARN102056, ARN105533, ARN105688, ARN105751, ARN106715, ARN107472, ARN107556, ARN107987, ARN104638, ARN115041.</p> <p>2. निम्न लिखित आईडी क्रमांक के संबंध में अवगत कराया है कि इन अमर्थियों को डीवी सूची में सम्मिलित नहीं कर सीधे ही अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किया है:- ARN119825, ARN112622, ARN117292</p> <p>3. निम्नलिखित आईडी क्रमांक के कुल प्राप्तांक प्रतिशत प्रकाशित अंतिम कटऑफ प्रतिशत से कम होने के बावजूद भी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित- ARN113288,</p> <p>4. निम्नलिखित आईडी क्रमांक के अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी होने से अवगत कराया है:- ARN116067</p>	<p>1. आईडी क्रमांक ARN118111, ARN119442 and ARN120387 के संबंध में प्रोविजनल सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण संबंधी सूचना से अवगत नहीं कराया गया था जिसके सत्यापन के अद्यतन अमर्थी को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था। अब आरपीएमसी द्वारा उक्त अमर्थियों को पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>आईडी क्रमांक ARN110785, ARN119115, ARN112989, ARN118693, ARN107987 के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पूर्व में रजिस्ट्रेशन होना बताया गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया है अतः इनकी पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>आईडी संख्या ARN119424, ARN120130, ARN119361, ARN115829, ARN118559, ARN119034 के पंजीकरण आरपीएमसी में नहीं है किन्तु इनके प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारार्थीन हैं। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जा सकेगी।</p> <p>शेष आईडी क्रमांक के संबंध में आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण होने की सूचना से अवगत कराया है।</p> <p>2. अमर्थी द्वारा अंकित आईडी क्रमांक ARN119825, ARN112622, ARN117292 दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में क्रमशः क्रम संख्या 1160, 1158 एवं 414 पर अंकित है।</p> <p>3. आईडी क्रमांक ARN113288 के संबंध में अंतिम कटऑफ प्रतिशत अंतिम चयन सूची में संशोधित कर ली जावेगी।</p> <p>4. अमर्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनुभव जारीकर्ता अधिकारी द्वारा करवाया जा रहा है। सत्यापन के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जावेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अमर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
33	चन्द्रमान वर्मा	ARN104600	<p>अमर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अमर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से बाहर होने का उल्लेख करते हुये योग्य अमर्थियों को सम्मिलित करने का निवेदन किया है:- ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944</p>	<p>परिवेदना में उल्लेखित 07 अमर्थियों में से 03 अमर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारार्थीन होने के कारण इन्हे भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोका गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 01 अमर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था। चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अमर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है, अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अमर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अमर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोका गया था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अमर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
34	विनेश कुमार भैरवशी	ARN113836	<p>अमर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अमर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से बाहर होने का उल्लेख करते हुये योग्य अमर्थियों को सम्मिलित करने का निवेदन किया है:- ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944</p>	<p>परिवेदना में उल्लेखित 07 अमर्थियों में से 03 अमर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारार्थीन होने के कारण इन्हे भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोका गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 01 अमर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था। चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अमर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है, अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अमर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अमर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोका गया था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अमर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>
35	विनेश कुमार सैनी	ARN112083	<p>अमर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अमर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से बाहर होने का उल्लेख करते हुये योग्य अमर्थियों को सम्मिलित करने का निवेदन किया है:- ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944</p>	<p>परिवेदना में उल्लेखित 07 अमर्थियों में से 03 अमर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारार्थीन होने के कारण इन्हे भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोका गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी। 01 अमर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका गया था। चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अमर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है, अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अमर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अमर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोका गया था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।</p>	<p>परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अमर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निरस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p>

36	कमिल कुमार नागर	ARN106675	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से बाहर होने का उल्लेख करते हुये योग्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का निवेदन किया है:- ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944	परिवेदना में उल्लेखित 07 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारणीय होने के कारण इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोकना गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 01 अभ्यर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में, वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अभ्यर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोकना था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अभ्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम चरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अभेक्षित नहीं है।
37	लादुराम	ARN107742	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से बाहर होने का उल्लेख करते हुये योग्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का निवेदन किया है:- ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944	परिवेदना में उल्लेखित 07 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारणीय होने के कारण इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोकना गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 01 अभ्यर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में, वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अभ्यर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोकना था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अभ्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम चरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अभेक्षित नहीं है।
38	सोनु कुमार वैरवा	ARN100231	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा व्यावसायिक योग्यता राजस्थान राज्य से बाहर होने का उल्लेख करते हुये योग्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का निवेदन किया है:- ARN118439, ARN119513, ARN119209, ARN120387, ARN102056, ARN105751, ARN114944	परिवेदना में उल्लेखित 07 अभ्यर्थियों में से 03 अभ्यर्थियों ARN118439, ARN119513, ARN119209 के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारणीय होने के कारण इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित परिणाम रोकना गया है। माननीय न्यायालय में होने वाले अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी। 01 अभ्यर्थी ARN120387 को आरपीएमसी द्वारा पंजीकरण के संबंध में, वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने के कारण भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था चूंकि अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का पंजीकरण नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है अतः आईडी क्रमांक ARN120387 पर अंकित अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है। शेष 03 अभ्यर्थी ARN102056, ARN105751, ARN114944 की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण इनका परिणाम रोकना था जिनका सत्यापन संबंधित राज्य से होने के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।	परिवेदना समिति द्वारा प्रकरण में विचार किया गया अभ्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम चरियता सूची में संबंध में कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही अभेक्षित नहीं है।
39	दीपेन्द्र बोरा	ARN112746	अंतरिम चरियता सूची में मेरी जन्म तिथि 03.08.2000 अंकित है जबकि मेरी वास्तविक जन्म तिथि 08.03.2000 है। आपसे निवेदन है कि मेरी जन्म तिथि में संशोधन कर वास्तविक जन्म तिथि करने की कृपा करें।	प्रार्थी यदि अंतिम चयन सूची में स्थान बना पाने में सफल रहता है तो 10 वीं अंकतालिका के अनुसार प्रार्थी की जन्मतिथी संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
40	निखिल भारद्वाज	ARN111885	मेने अपने आवेदन पत्र में गलती से पिता का नाम सुरेन्द्र कुमार जोशी भर दिया है, वास्तविक दरतावेजों में पिता का नाम सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे पिता का नाम सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज करने की कृपा करें।	प्रार्थी यदि अंतिम चयन सूची में स्थान बना पाने में सफल रहता है तो 10 वीं अंकतालिका के अनुसार पिता का नाम संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
41	प्रियंका चौहान	ARN108694	कॉपल विवाह का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन अविवाहित श्रेणी में किया गया। प्रस्तुत परिवेदना के साथ स्वयं का विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके आधार पर अंतिम चयन सूची में यदि स्थान बना सकते हैं तो अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति अविवाहित से विवाहित संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
42	विमल जोशी	ARN116475	जय मेने फार्म चरा था तब मेने जन्म दिनांक 10.07.1983 भरी थी। लेकिन अब प्राविणजल सूची में तकनीकी खामी या मानवीय भूल से मेरी जन्म दिनांक 10.07.1993 छपी हुई आयी है। अतः मेरी जन्म तिथि में सुधार करने करने की कृपा करें।	प्रार्थी यदि अंतिम चयन सूची में स्थान बना पाने में सफल रहता है तो की 10 वीं अंकतालिका के अनुसार प्रार्थी की जन्मतिथी संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
43	रमेश कुमार	ARN120029	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के सीनियर सैकण्डरी के अंक संशोधित कराने का निवेदन किया है।	विभाग द्वारा समस्त आवेदकों हेतु वृद्धिसुधार का अवसर प्रदान किया जा चुका है जिसका उपयोग कर अभ्यर्थी स्वयं अपने आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। दिनांक 5.4.2024 को नैति निर्धारण समिति की बैठक में समान प्रकरणों में लिये गये निर्णय अनुसार, अभ्यर्थी की परिवेदना पर अब कोई कार्यवाही संबंध नहीं है। अतः परिवेदना खारिज किया जाना प्रस्तावित है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

44	अर्णवी कुमारी	ARN118521	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9397/2023 सुनिल विश्वासे वनाम राजस्थान सरकार के अधीन दरतावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम सूची में नाम दर्ज करवाने बाबत।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 9397/2023 सुनिल विश्वासे व अन्य-6 वनाम राजस्थान सरकार में निर्णय पारित कर माह जुलाई में जारी आरपीएमसी के रजिस्ट्रेशन को मानते हुये याचिकाकर्ताओं को जिस-मद के लिये आवेदन किया गया है उस पर हेतु भर्ती प्रक्रिया में वरियता के अनुसार सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः भर्ती को माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यथास्थान सम्मिलित किया जाकर घयन की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
45	अवधेश	ARN113241	अभ्यर्थी ने परिषेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि उनके कुल प्राप्तांक प्रतिशत दरतावेज सत्यापन की सूची में 48.974 प्रतिशत दर्शाया है तथा अंतरिम वरीयता सूची में ओबीसी की कटऑफ 48.784 प्रतिशत होने के बावजूद इनका नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, को सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 13448/2023 दायर की गई थी।	अंतिम घयन सूची जारी करते समय अभ्यर्थी को माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 13439/2023 इन्द्रा कंवर वनाम सरकार में दिनांक 26.09.2023 को निर्णय पारित किया है जिसके अनुसार अभ्यर्थी को पात्रता निरस्त नहीं की जानी है, को पालना में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
46	दिलीप सिंह गुर्जर	ARN119496	माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की रिट संख्या 15653/2023 के अधीन दरतावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम सूची में नाम दर्ज करवाने बाबत।	अभ्यर्थी का आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण पात्र नहीं माना गया है। अभ्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका संख्या 15653/2023 दायर की हुई है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर आखिरी निर्णय 12.03.2024 का अपलोड किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा रसपोन्डेन्ट हेतु कोई निर्देश प्रदान नहीं किया गया है। अतः यथास्थिति बनाये रखना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
47	गोमती	ARN119415	मेरा उक्त पाठ्यक्रम का पंजीयन राजस्थान पैरा मेट्रिकल कॉलेज में अंतिम तिथि तक तबित रहने के कारण मेने राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की शरण ली जिस पर न्यायालय द्वारा एस.पी.सिविल रिट मिटिशन संख्या 12689/2023 के तहत भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित का अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ। मेरे कुल प्राप्तांक 49.952 है जबकि ओबीसी की कटऑफ 48.627 रहने के बावजूद भी घयन से वंचित हूँ।	माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 12689/2023 को रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी वनाम सरकार से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तरिम तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में वरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित कर परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
48	गोपीराम	ARN120374	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 12632/2023 के अधीन दरतावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम सूची में नाम दर्ज करवाने बाबत।	माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 12632/2023 को याचिका संख्या 12308/2023 एवं 12333/2023 से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तरिम तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में वरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित कर परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है साथ ही बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण बोर्ड पटना की मान्यता के संबंध में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये की नीति निर्धारण से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से भी इस बाबत राय-प्राप्त कर ली जाये।
49	हुक्म सिंह गुर्जर	ARN118366	माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की रिट संख्या 13439/2023 के अधीन दरतावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम सूची में नाम दर्ज करवाने बाबत।	माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 13439/2023 इन्द्रा कंवर वनाम सरकार से कनेक्ट करते हुये, रिट याचिका संख्या 9798/2023 कनैशा लाल वनाम सरकार एवं रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी वनाम सरकार से कनेक्ट करते हुये निर्देश प्रदान किये हैं कि याचिकाकर्ता की पात्रता निरस्त नहीं की जाये। अतः यदि अभ्यर्थी वरियता सूची में स्थान घनाने में सफल हो रहा है तो वरियता सूची में यथास्थान सम्मिलित करते हुये परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
50	कृष्णा शर्मा	ARN108225	अभ्यर्थी ने परिषेदना प्रस्तुत कर सिविल रिट मिटिशन संख्या 13439/2023 से कनेक्ट कर आदेश दिया हुआ है जिसके समस्त अभ्यर्थियों में अंतरिम वरीयता सूची में नाम जारी किया गया है। केवल रिट मिटिशन संख्या 12980/2023 कृष्णा शर्मा का जारी नहीं किया गया है। अतः मेरी परिषेदना स्वीकार कर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित कर लिया जाये।	माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 12980/2023 कृष्णा शर्मा वनाम सरकार को रिट याचिका संख्या 13439/2023 इन्द्रा कंवर वनाम सरकार से कनेक्ट करते हुये निर्देश प्रदान किये हैं कि याचिकाकर्ता की पात्रता निरस्त नहीं की जाये। अतः यदि अभ्यर्थी वरियता सूची में स्थान घनाने में सफल हो रहा है तो वरियता सूची में यथास्थान सम्मिलित करते हुये परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है साथ ही बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण बोर्ड पटना की मान्यता के संबंध में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये की नीति निर्धारण से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से भी इस बाबत राय-प्राप्त कर ली जाये।
51	मैना	ARN117953	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 13076/2023 के तहत दरतावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13076/2023 को रिट याचिका संख्या 12632/2023 गोपीराम वनाम सरकार एवं रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी वनाम राजस्थान पैरामेट्रिकल कॉलेज से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तरिम तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में वरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित किया जाकर घयन की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है साथ ही बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण बोर्ड पटना की मान्यता के संबंध में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये की नीति निर्धारण से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से भी इस बाबत राय-प्राप्त कर ली जाये।

52	कमलेश	ARN120153	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9674/2023 के अधीन दस्तावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम धरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने वावत।	अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित रिट याचिका संख्या 9674/2023 के अतिरिक्त माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13113/2023 को रिट याचिका संख्या 12632/2023 गोपीराम बनाम सरकार से एवं रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी बनाम राजस्थान पैरामेट्रिकल कौंसिल से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तर्गत तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में धरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित किया जाकर चयन की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है। साथ ही बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण बोर्ड पटना की मान्यता के संबंध में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये की नीति निर्धारण से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से भी इस वायत् राय प्राप्त कर ली जाये।
53	शैशवी कुमारी	ARN118449	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9650/2023 एवं 13076/2023 के तहत दस्तावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम धरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने वावत।	माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13076/2023 को रिट याचिका संख्या 12632/2023 गोपीराम बनाम सरकार से एवं रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी बनाम राजस्थान पैरामेट्रिकल कौंसिल से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तर्गत तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में धरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित किया जाकर चयन की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है। साथ ही बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण बोर्ड पटना की मान्यता के संबंध में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये की नीति निर्धारण से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से भी इस वायत् राय प्राप्त कर ली जाये।
54	प्रकाश चन्द्र	ARN119911	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9674/2023 के अधीन दस्तावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम धरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने वावत।	अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित रिट याचिका संख्या 9674/2023 के अतिरिक्त माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13113/2023 को रिट याचिका संख्या 12632/2023 गोपीराम बनाम सरकार से एवं रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी बनाम राजस्थान पैरामेट्रिकल कौंसिल से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तर्गत तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में धरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित किया जाकर चयन की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है। साथ ही बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण बोर्ड पटना की मान्यता के संबंध में नीति निर्धारण समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित साथ ही समिति द्वारा निर्देश दिये गये की नीति निर्धारण से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से भी इस वायत् राय प्राप्त कर ली जाये।
55	रमेश कुमार चौधरी	ARN104645	माननीय न्यायालय की सिविल रिट संख्या 13450/2023 दिनांक 26.09.2023 का आदेश संलग्न कर अंतरिम धरियता सूची में सम्मिलित करने हेतु परिशेदना प्रस्तुत की है तथा अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.345 प्रतिशत है जबकि अंतरिम धरियता सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 48.784 प्रतिशत है।	माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 13450/2023 को रिट याचिका संख्या 13439/2023 इन्द्रा कौर बनाम सरकार से कनेक्ट करते हुये निर्णय पारित किया है कि याचिकाकर्ता की पात्रता निर्रत नहीं की जाये। अभ्यर्थी धरियता सूची में स्थान बनाने में सफल हो रहा है तो धरियता सूची में यथास्थान सम्मिलित करते हुये परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
56	ऋषिपाल	ARN119893	माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 8798/2023 संलग्न है। अंतरिम धरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने वावत।	अभ्यर्थी को रिट याचिका संख्या 8798/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
57	सचिन गुर्जर	ARN116188	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9650/2023 एवं 13076/2023 के तहत दस्तावेज सत्यापन करवाया गया। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल प्राप्तांक 48.396 प्रतिशत बताये है जबकि अंतरिम धरियता सूची में एमबीसी वर्ग की कटऑफ 45.276 प्रतिशत है।	माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13076/2023 को रिट याचिका संख्या 12632/2023 गोपीराम बनाम सरकार से एवं रिट याचिका संख्या 12308/2023 ज्योति त्रिपाठी बनाम राजस्थान पैरामेट्रिकल कौंसिल से कनेक्ट करते हुये अभ्यर्थी की पात्रता अन्तर्गत तौर पर कन्सीडर करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में धरियतानुसार यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
58	शरयन	ARN119923	माननीय उच्च न्यायालय की रिट संख्या 9397/2023 संलग्न है। अभ्यर्थी ने स्वयं के कुल प्राप्तांक 50.73 प्रतिशत बताये है जबकि अंतरिम धरियता सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 48.62 प्रतिशत है।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 9397/2023 सुनिल मिश्रोंड व अन्य-6 बनाम राजस्थान सरकार से निर्णय पारित कर याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुये जिस पद के लिये आवेदन किया गया है उस पद हेतु धरियता के अनुसार सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्रदान किये है। अतः प्रार्थी को माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में यथास्थान सम्मिलित किया जाकर चयन की स्थिति में परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
59	अंकित वैष्णव	ARN119618	मेरे सहायक रेडियोग्राफर पद पर आवेदन किया था। मेरी जाति ओबीसी है। मेरी शैक्षणिक व व्यवसायिक योग्यता का योग 44.846 प्रतिशत है। महोदय मेरा डीपी माननीय न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार हुआ था, जिसका रिट पिटीशन संख्या 9708/2023 है। महोदय इस रिट पिटिशन में मेरे अन्य सहायियों का नाम धरियता सूची में आया है, सिवाय मेरे। निवेदन है कि आप मेरी परिशेदना पर ध्यान देने की कृपा करें।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अभ्यर्थी के 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 280 अंक अर्थात् 66 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त किये तथा व्यावसायिक योग्यता में 2400 में से 1599 अंक अर्थात् 66.625 प्रतिशत अंक प्राप्त किये। इस प्रकार दोनों के औसत प्राप्तांकों का योग 70 प्रतिशत 42.918 प्रतिशत होता है। जो अंतरिम चयन सूची में इनके सामान्य जातिवर्ग की कटऑफ प्रतिशत 50.527 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहा है।	समिति द्वारा परिशेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
60	अरुण कुमार	ARN119615	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9708/2023 के अधीन दस्तावेज सत्यापन करवाया गया, मेरे कुल प्राप्तांक 39.934 प्रतिशत बन रहे। अतः परिशेदना पर ध्यान देने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन अनुसूचित जातिवर्ग से किया गया है जिसके दस्तावेजों की जांच को उपरोक्त अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 39.934 प्रतिशत बने हैं। जबकि अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 41.837 प्रतिशत है। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंतिम कटऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है।	समिति द्वारा परिशेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

61	कमलेश वैरवा	ARN119994	सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की प्रथम वरियता सूची में योनिश अंक जोड़कर 66.297 थी व मेरिट सूची के अनुसार एससी की कटऑफ 41.837 रखी गई, जिसके अनुसार मेरा नाम मेरिट सूची में आ जाना चाहिए। सूची में नाम नहीं आने का कारण बताया एवं सूची में नाम शामिल करने की कृपा करें। मेने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में सहायक रेडियोग्राफर पद पर सीएससी जमवासासमूह जयपुर प्रथम में कार्य किया था, जिसका अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।	अभ्यर्थी का अनुभव निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अतः योनिश अंकों के अभाव में अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 36.297 प्रतिशत बनते हैं जो अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 41.837 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
62	कुशमेश कुमार	ARN111670	अभ्यर्थी द्वारा कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई अपितु केवल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया है। अनारक्षित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.608 है जबकि अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.165 होने के कारण चयन से वंचित रहा है। किन्तु अभ्यर्थी द्वारा विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है एवं अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी में वरियता में यथास्थान रखा जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
63	मनदीप	ARN110209	अभ्यर्थी द्वारा कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल परियोजना में एम्स मुनेश्वर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अकादमिका से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र एम्स मुनेश्वर का जारी किया गया है जो कि अन्य राज्य का होने के कारण विज्ञापित की शर्तों के अनुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जल्यदेव बार्गी प्रकरण में दिये गये निर्णय के क्रम में अनुभव का लाभ देय नहीं होने से इनके कुल प्राप्तांक 48.812 प्रतिशत बनते हैं जो इनके जातिवर्ग (अनारक्षित) में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.608 प्रतिशत से कम होने के कारण वरीयता सूची में स्थान बनाने में असफल रहे हैं।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
64	महमूद अली खरादी	ARN106612	अभ्यर्थी ने परियोजना प्रस्तुत कर स्वयं के व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत 59.17 बताते हुये प्रोविजनल सूची द्वारा निकालने बायब निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परियोजना में उल्लेखित 89.17 प्रतिशत अंक मात्र व्यावसायिक योग्यता के हैं जबकि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गए डेटा के औद्योगिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रतिशत अंकों के औसत का 70 प्रतिशत वेटेज अनुसार मात्र 38.208 प्रतिशत अंक बनते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अनुभव संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.009 रहे हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
65	नूतन	ARN117764	अभ्यर्थी द्वारा परियोजना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित सूची में उनके 62.367 प्रतिशत अंकित किये गये थे। इस प्रकार कुल प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः पुनर्विचार किये जाने हेतु निवेदन किया है।	सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार की गई थी। किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सैकण्डरी एवं व्यावसायिक योग्यता के औसत प्राप्तांक 67.667 है जिनके 70 प्रतिशत गणना करने पर 47.367 प्रतिशत बनते हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के वास्तविक कुल प्राप्तांक 47.367 प्रतिशत बनते हैं जो उनके जातिवर्ग, अनारक्षित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.608 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
66	ओमवीर सिंह सीनी	ARN113172	कोई परियोजना संलग्न नहीं है, केवल अंतरिम वरीयता सूची संलग्न है।	अभ्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है जिसमें अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.608 प्रतिशत रहे हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.784 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आता है।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
67	प्रमोद सिंह	ARN118546	अभ्यर्थी ने परियोजना प्रस्तुत कर स्वयं प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ ज्यादा बताते हुये दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने कावत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अकादमिकाओं में दिये गये प्राप्तांकों के अनुसार कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना करने पर अभ्यर्थी के 40.367 प्रतिशत बनते हैं। अभ्यर्थी ने अनुभव संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है। इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 50.527 प्रतिशत रहे हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
68	प्रमोद कुमार घायल	ARN108301	कोई परियोजना संलग्न नहीं है, केवल अंतरिम वरीयता सूची में परिणाम रोके गये अभ्यर्थियों का सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है जिसमें अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 47.908 प्रतिशत रहे हैं जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.784 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आता है।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
69	पुनीत कुमार योगी	ARN109262	अभ्यर्थी द्वारा परियोजना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित सूची में उनके 57.624 प्रतिशत अंकित किये गये थे। इस प्रकार कुल प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित कर नियुक्ति दिये जाने कावत् निवेदन किया है।	सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डेटा के अनुसार की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सैकण्डरी एवं व्यावसायिक योग्यता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 60.992 बनते हैं जिनके 70 प्रतिशत गणना करने पर 42.684 प्रतिशत बनते हैं एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण योनिश अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थी के वास्तविक कुल प्राप्तांक 42.684 प्रतिशत बनते हैं जो अनारक्षित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 51.608 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आता है।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

70	संदीप	ARN118291	प्रार्थी ने आई डी जनरेट नहीं होने के कारण दरतावेज सत्यापन में नाम नहीं आना बताया है और परिवेदना प्रस्तुत कर दरतावेज सत्यापन में मौका देने की मांग की है।	अभ्यर्थी ने परिवेदना में स्वयं अपनी आईडी ARN118291 दर्शाई है। अतः परिवेदना मिथ्या है। वास्तव में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना करने पर अभ्यर्थी के 47.574 प्रतिशत अंक बनते हैं अभ्यर्थी द्वारा अनुभव संबंधित कोई दरतावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार दरतावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.909 रहे हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम होने के कारण दरतावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
71	रामप्रसाद	ARN117803	प्रार्थी ने आई डी जनरेट नहीं होने के कारण दरतावेज सत्यापन में नाम नहीं आना बताया है और परिवेदना प्रस्तुत कर दरतावेज सत्यापन में मौका देने की मांग की है।	अभ्यर्थी ने परिवेदना में स्वयं अपनी आईडी ARN117803 दर्शाई है। अतः परिवेदना मिथ्या है। वास्तव में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना करने पर अभ्यर्थी के 46.524 प्रतिशत अंक बनते हैं अभ्यर्थी द्वारा अनुभव संबंधित कोई दरतावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार दरतावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.909 प्रतिशत रहे हैं। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम होने के कारण दरतावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
72	रोहित कौशिक	ARN109220	मेने सहायक रेडियोग्राफर पद के लिये आवेदन किया है, जिसका आवेदन संख्या 109220 है। मेने रेडियोलॉजिकल अरिस्टेन्ट कोर्स भोलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से 2012 में पूर्ण कर ली है। एवं 5 वर्ष का अनुभव भी प्राप्त है। मेने राजस्थान पेरामेडिकल कॉलेज में जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मेरे कुल 77.60 प्रतिशत अंक अर्जित है। दिनांक 23.08.23 को मेरा दरतावेज सत्यापन भी करवा दिया है। प्रोविजनल सूची में नाम नहीं आया है। अतः आपसे निवेदन है कि प्रोविजनल सूची के लिये मेरे अंकों की पुनर्गणना करने की कृपा करें।	अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के अंकों के औसत प्रतिशत का 70 प्रतिशत घटेज 47.600 बनता है जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदित श्रेणी अर्थात् एनसीएल वर्ग के प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण चयन नहीं हुआ। अभ्यर्थी ने लेडी एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एवं एसओके अस्पताल, नई दिल्ली का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसे पर अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी का आरपी.एम.सी. में रजिस्ट्रेशन 23.1.2023 को हुआ है अतः इससे पूर्व के अनुभव का लाभ देय नहीं है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
73	संदीप कुमार गोरा	ARN117766	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 9712/2023 के अधीन अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने से संबंधित माननीय न्यायालय के विचारधीन प्रकरणों में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अंतरिम वरीयता सूची में माननीय न्यायालय में विचारधीन प्रकरणों में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया है।	माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी को शर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है किन्तु अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। जिसके कारण अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 42.974 प्रतिशत उनको जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 48.784 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन की श्रेणी में नहीं आता है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
74	सोहन शर्मा	ARN108081	मेरा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर दरतावेज सत्यापन हो चुका है। जिसकी दिनांक 01.10.2023 को प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई जिसमें इंडब्ल्यूएस की फाईनल कट ऑफ 47.787 प्रतिशत रही तथा मेरी प्रतिशत भी 47.787 है व समान प्रतिशत का इंडब्ल्यूएस में टीएसपी व नॉन टीएसपी में अन्य कोई अभ्यर्थी नहीं है। मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ व मेरे बारे दरतावेज पूर्णतया सत्य है। फिर भी मेरा नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आया है। अतः महोदय से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करते हुए मेरा नाम सहायक रेडियोग्राफर की लिस्ट में सम्मिलित करवाने की कृपा करें।	अंतरिम वरीयता सूची में इंडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक वास्तव में 47.816 प्रतिशत है जो राहयन से 47.787 प्रतिशत प्रतिशत से कम है। अतः अभ्यर्थी को चयन सूची में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है क्योंकि वास्तविक चयन योग्य अंतरिम वरीयता सूची जारी हो जाने के बाद ही होगा जिसकी कटऑफ प्रतिशत वर्तमान में अंतरिम तौर पर जारी कटऑफ से घुबक होगी। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
75	सुनिल सिंह कुशवाहा	ARN107801	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 76.422 अनुभव सहित जो कि एराजीपीआई लखनऊ से जारी किया गया है, का उल्लेख करते हुये स्वयं को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने वास्तु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने के कारण अभ्यर्थी को वोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत वोनस अंकों के अभाव में 46.422 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित वर्ग की अंतिम कटऑफ 51.608 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहा है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
76	सनी वर्मा	ARN106157	कोविड-19 का अनुभव को शामिल करते हुए। अंतरिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने के संदर्भ में।	अभ्यर्थी ने स्वयं की गलती से ऑनलाईन आवेदन करते समय अनुभव में कोविड अग्रिम के कॉलम में नहीं का विकल्प गस जिसे सुटि सुधार का अवसर दिये जाने के उपरान्त पर भी सुधार नहीं किया गया। अभ्यर्थी द्वारा दरतावेज सत्यापन हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई थी किन्तु अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान द्वारा जारी किये जाने के कारण अभ्यर्थी को वोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत वोनस अंकों के अभाव में 41.207 बनते हैं जो कि अनारक्षित वर्ग की अंतिम कटऑफ 51.608 प्रतिशत से कम होने के कारण दरतावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

77	रुपिं दाधिव	ARN104783	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करामा है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन सामान्य श्रेणी में किया गया था किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा बाद में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में बदल दिया था एवं साथ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी लगा दिया गया था। अभ्यर्थिया स्वयं के प्राप्तांक 48.32 प्रतिशत बताते हुये ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सम्मिलित किये जाने वास्तु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन सामान्य श्रेणी में किया गया था एवं शुल्क भी सामान्य श्रेणी का ही दिया गया था। सेवा प्रदाता एजेन्सी से प्राप्त वृत्ति संशोधन उपरान्त के डेटा में भी अभ्यर्थी की श्रेणी सामान्य ही है। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि के दौरान वृत्ति संशोधन किया जाने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना प्रस्तुत की थी किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा 4.9.2023 को जारी ईडब्ल्यू एस. प्रमाण पत्र संलग्न किया गया जो कि आवेदन की दिनांक के बाद का होने के कारण कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार मान्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन डाटा में सरे गये अंको के अनुसार कुल प्राप्तांक 48.323 प्रतिशत है जो दस्तावेज सत्यापन की अनारक्षित महिला वर्ग की कटऑफ 50.540 प्रतिशत से कम होने के कारण अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
78	शियंका यादव	ARN105716	अंतरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाते वास्तु।	अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उपरिष्ठत अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थिया के हस्ताक्षर होना प्राय गया है किन्तु दस्तावेज के उपरान्त एजेन्सी से प्राप्त डाटा में अभ्यर्थिया का डाटा सम्मिलित नहीं है। अतः सेवा प्रदाता फर्म से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए एवं अंतिम चयन सूची की कट ऑफ में चयन होने की स्थिति में नीति निर्धारण की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	समिति को अवगत करामा गया कि एजेन्सी से वाट्सएप पर सूचना प्राप्त की गई थी जिसके एजेन्सी द्वारा अवगत करामा गया है कि अभ्यर्थिया प्रियंका यादव का दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है। समिति द्वारा विचार किये जाने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी यदि दस्तावेज सत्यापन हेतु उपरिष्ठत हुई थी तो दस्तावेज सत्यापन करा लेना चाहिये था अतः दस्तावेज सत्यापन के उपाय में उसे अनुपस्थित ही माना जायेगा।
79	समीक्षा नागर	ARN111807	मेरे आप श्रीमान कार्यालय के पत्रांक 9806/25.09.23 की मालना में आवेदन में जाति वर्ग में संशोधन कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में करवाया था, जिसका दस्तावेज सत्यापन सीमू में 26.09.23 को करवाया था। मेरा प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष है। मेरा अंक प्रतिशत 48.458 है जबकि दिनांक 01.10.23 को जारी अंतरिम वरियता सूची में ईडब्ल्यूएस सामान्य महिला कटऑफ 47.273 रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि सरे आवेदन पर पुनः विचार कर मेरा ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी अंतरिम वरियता सूची में चयन करवाने का श्रम कराये।	अभ्यर्थिया द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया था किन्तु विभाग द्वारा वृत्ति सुधार किये जाने के संबंध में दिनांक 25.09.2023 को जारी पत्र के माध्यम से वृत्ति सुधार हेतु एक और अवसर प्रदान किये जाने के क्रम में अभ्यर्थिया समीक्षा नागर द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन करवाया गया था जिसके क्रम में अभ्यर्थिया का जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
80	प्रवीण कुमार	ARN117857	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना के साथ सीएमएसओ वाइमेर का पत्रांक 10294 दिनांक 03.10.2023 के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है तथा निम्नलिखित आईडी क्रमांक अंकित करते हुये इन अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण इन्हे बाहर वैध अभ्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने वास्तु निवेदन किया है:- ARN119855, ARN109772, ARN119727, ARN118722, ARN118543, ARN118574, ARN119654, ARN110785, ARN118693	अभ्यर्थी को पूर्व में 20 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अत्याधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वाइमेर द्वारा अभ्यर्थी को रीडियोग्राफर पद का 755 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करामा जा चुका है। अतः उक्त रिमांक हटाया जाना प्रस्तावित है। परिवेदना में उल्लेखित 09 अभ्यर्थियों में से 07 अभ्यर्थियों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विद्यमान होने के कारण उक्त अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सम्मिलित कर परिणाम रोकना गया था जिसके प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा होने वाले अंतिम निर्णय उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। शेष 02 अभ्यर्थी ARN110785, ARN118693 के संबंध में वरियता सूची तैयार करते समय आरपीएमसी द्वारा इनका पंजीकरण होने की सूचना से अवगत करामा गया था किन्तु अब आरपीएमसी द्वारा इनका पंजीकरण गठी होने की सूचना से अवगत करामा गया है जिसके अनुसार उक्त दोनो अभ्यर्थियों की मात्रता निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।	रिमांक हटाया जाना प्रस्तावानुसार अनुमोदित। परिवेदना का शिकाया संबंधी भाग इस समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर है अतः निस्कारण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। विभाग स्वयं के स्तर पर कार्यवाही करे।
81	आविद	ARN115553	आपके द्वारा जारी अर्देश क्रमांक 10006 दिनांक 01.10.2023 में मेरा नम्बर 284 पर अंकित है तथा उसके आगे Subject to verification of exp. certificate from issuing authority लिखा हुआ है। अतः अनुभव प्रमाण पत्र का खोरा प्रस्तुत किया है जिन्हे सत्यापित कराये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अत्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीनक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, चदवापुर एवं स्वास्थ्य अधिकारी मीलवाड़ा द्वारा कुल 17 माह से अधिक का अभ्यर्थी को रीडियोग्राफर पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करामा जा चुका है। अतः उक्त रिमांक हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

82	अश्विन्द	ARN114650	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 22.8.2023 को आपके संस्थान में दरस्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा सहायक रेडियोग्राफर के धरियता/पदस्थापन सूची जारी करने की कृपा करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 462 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
83	आशीष कुमार	ARN115390	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र विभाग के नियमानुसार बना हुआ है। अतः मैं पुनः अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा हूँ।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 अंक प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में दोनों अंकों के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है किन्तु अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त अभ्यर्थी का कार्यानुभव सीटी टेक्नोलॉजीयन होना पामा, गया है जो कि सहायक रेडियोग्राफर पद का अनुभव नहीं होने के कारण समान कार्य का नहीं होने से अनुभव का लोम देय नहीं है। अतः दोनों अंक शून्य करते हुये वरीयता सूची यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
84	छोटाराम	ARN114665	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 690 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
85	देवराज दाधीच	ARN117153	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है मेरे नाम को आगे SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY लिखा आया है। इसी क्रम में मेरे अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले श्रीमान् अधीक्षक महोदय के कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक सामान्य/2023/2973-04, दिनांक 26.09.2023 द्वारा किया जा चुका है। अतः मुझे विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अन्तिम चयन सूची/पदस्थापन सूची में सम्मिलित किया जाये।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक नवीन चिकित्सालय, गेटिकल कॉलेज परिसर कोटा द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 572 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
86	दिलीप चौधरी	ARN115483	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल प्राइवेट संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 690 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
87	गोविन्द कुमार नेहरा	ARN115008	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 20 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 800 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
88	हीना भगोरा	ART116696	प्रार्थी के धरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को रेफरिमाई करवाने हेतु परिवेदना दर्ज है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा 296 दिवस तथा अधीक्षक महाराणा रूपाल चिकित्सालय उदयपुर द्वारा 74 दिवस का अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का कुल 370 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
89	कृष्ण कुमार	ARN109657	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 22.8.2023 को आपके संस्थान में दरस्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा अनुभव प्रमाण पत्र की जांच कर रिमार्क हटाने की कृपा करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 164 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
90	कुचन सिंह	ARN112103	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है अन्तरिम धरियता सूची में मेरे नाम के अगे रिमार्क लगाया है। जो कि मेरा अनुभव प्रमाण-पत्र विभाग के द्वारा नियमानुसार बनाया गया है। जिसको मैं इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर रहा हूँ।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुनू द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 693 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
91	लोकेश-मीणा	ART116203	प्रार्थी के धरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को रेफरिमाई करवाने हेतु परिवेदना दर्ज है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 10 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल उदयपुर द्वारा अभ्यर्थी को रेडियोग्राफर पद का 397 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

92	लोकेश पुरी	ART114207	प्रार्थी के बरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को वैरिफाई करवाने हेतु परिशेदना दर्ज है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ द्वारा अभ्यर्थी को जारी रोडियोग्राफर पद का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
93	ममता विनोई	ARN115655	कोई परिशेदना संलग्न नहीं। प्रार्थी ने अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद का 440 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
94	नमरतन	ARN117902	प्रार्थी के बरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को वैरिफाई करवाने हेतु परिशेदना दर्ज है।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वाङ्गेर द्वारा अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद का 487 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
95	निहारिका पारीक	ARN114891	प्रार्थी के बरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को वैरिफाई करवाने हेतु परिशेदना दर्ज है। मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र के अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 22.8.2023 को आपको संस्थान में दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की जारी की जाने वाली गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम चयन वरीयता सूची में नाम शामिल करवाने की कृपा करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद का 661 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
96	पीयूष कुमार	ARN112113	बरियता सूची में मेरे नाम के आगे रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY लगाया गया है। जो कि मेरा अनुभव प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा निम्नानुसार बनाया गया है। जिसमें मैं इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर रहा हूँ।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू के द्वारा अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद का 694 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
97	प्रकाश गोयल	ARN116977	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 8350/2023 के अधीन दरतावेज सत्यापन करवाया गया, अंतरिम बरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बावत।	माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 8350/2023 प्रकारा. गोयल बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय पारित कर रिट याचिका संख्या 19877/2022 लालाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अनुरूप अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा दो अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र सहायक रेडियोग्राफर पद के प्राप्त कर परिशेदना के साथ प्रस्तुत किये हैं जिनकी कुल अनुभव अवधि 19.05.2022 से 30.05.2023 है किन्तु अभ्यर्थी 64 दिवस अनुपस्थित रहा है जिससे अनुभव अवधि 01 वर्ष से कम होने के कारण अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।	समिति द्वारा परिशेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
98	रोहित कुमार	ARN117243	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है मेरे नाम के आगे SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY लिखा आया है। इसी क्रम में मेरे अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले श्रीमान् अधीक्षक महोदय के कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक सामान्य/2023/2973-04, दिनांक 26.09.2023 द्वारा किया जा चुका है। अतः मुझे विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अन्तिम चयन सूची/पदस्थापन सूची में सम्मिलित किया जाये।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक, नजीम चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज परीसर कोटा द्वारा अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद का 621 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
99	सामरीन खान	ARN114938	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 23.8.2023 को आपको संस्थान में दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा अंतरिम वरीयता सूची में चयन कर नियुक्ति प्रदान करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद का 518 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
100	शैलेन्द्र कुमार बलमदा	ARN114624	प्रार्थी के बरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को वैरिफाई करवाने हेतु परिशेदना दर्ज है।	प्रार्थी के बरियता सूची में रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY को वैरिफाई करवाने हेतु परिशेदना दर्ज है। अभ्यर्थी को रोडियोग्राफर पद के जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

101	वसीम अख्तर	ARN116749	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया गया है मेरे नाम के आगे SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY लिखा आया है। इसी क्रम में मेरे अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले श्रीमान् अधीक्षक महोदय के कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक सामान्य/2023/2973-04, दिनांक 28.09.2023 द्वारा किया जा चुका है। अतः मुझे विभाग द्वारा जारी की जाने वाली अन्तिम चयन सूची/पदस्थापन सूची में सम्मिलित किया जाये।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज परिसर, कोटा द्वारा अभ्यर्थी को सेडियोग्राफर पद का 493 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
102	विकास	ARN116999	वरियता सूची में मेरे नाम के आगे रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION OF EXPERIENCE CERTIFICATE FORM ISSUED AUTHORITY लगाया गया है। जो कि मेरा अनुभव प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा नियमानुसार बनाया गया है। जिसको मैं इस पत्र के साथ पुनः संलग्न कर रहा हूँ।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू द्वारा अभ्यर्थी को सेडियोग्राफर पद का 570 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
103	विनीत सोमानी	ARN114480	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 23.8.2023 को आपको संस्थान में दर्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर अंतिम वरियता/पदस्थापन सूची जारी करने की कृपा करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन चयन किया गया है। चूंकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अभ्यर्थी को सेडियोग्राफर पद का 485 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
104	विपेक टांक	ARN117201	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 23.8.2023 को आपको संस्थान में दर्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर अंतिम वरियता/पदस्थापन सूची जारी करने की कृपा करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 15 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन चयन किया गया है। चूंकि नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज परिसर कोटा द्वारा अभ्यर्थी को सेडियोग्राफर पद का 467 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
105	योगेश कुमार	ARN114973	मेरा चयन अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया गया है जबकि मेरा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। मेरे द्वारा दिनांक 23.8.2023 को आपको संस्थान में दर्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। अतः मेरा सहायक रेडियोग्राफर के पद पर अंतिम वरियता सूची में चयन कर नियुक्ति प्रदान करें।	अभ्यर्थी को पूर्व में 10 प्रतिशत अंक प्रदान करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन चयन किया गया है। चूंकि अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय रामगढ़ महाना गाँधी चिकित्सालय जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को सेडियोग्राफर पद का 404 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जा चुका है। अतः उक्त रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
106	दीपक कुमार	ARN112246	अभ्यर्थी को द्वारा 12वीं कक्षा की अंकतालिका अपलोड की गई थी। उसका उपरोक्त भी रिमार्क आ गया। अभ्यर्थी ने पुनः 12वीं कक्षा की अंकतालिका संलग्न कर रिमार्क को हटाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदन के साथ संलग्न 12वीं बोर्ड की अंकतालिका का ऑनलाईन-आवेदन में दी गई अंकतालिका से मिलान कर लिया गया है। अतः रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
107	केशव कुमार गौतम	ARN112383	मेरा चयन डिप्लोमा के अंको के सत्यापन के अधीन किया गया है। जबकि मेरे डिप्लोमा के अधिकतम एवं प्रारंभिक अंको में कोई गलती नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक 22.8.2023 को आपको संस्थान में दर्तावेज सत्यापन के दौरान भी सत्यापन किया जा चुका है। उस समय दर्तावेजों में कोई गणी नहीं खताई गई थी। अब मैं पुनः वैरिफिकेशन के लिए सभी दर्तावेजों अपलोड कर रहा हूँ। मेरे दर्तावेजों की अच्छे से जांच करें ताकि मुझे भविष्य में कोई परेशानी ना पड़े।	परिवेदन में प्रार्थी सँ प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की DIPLOMA MARKSHEET की प्रति प्राप्त हो गई है। पूर्व में आवेदन के साथ द्वितीय वर्ष की DIPLOMA MARKSHEET ही संलग्न थी अब दोनों DIPLOMA MARKSHEET प्राप्त हो गई हैं जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिये गये दर्तावेज के अनुसार किया जा चुका है। अतः रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

108	लीला राईका	ARN105489	मेरा चयन डिप्लोमा के अंकों के सत्यापन के अध्येन किया गया है। अंतरिम वरीयता सूची में मेरे नाम के आगे रिमार्क लगाया है। इस रिमार्क को लेकर रिश्ति स्पष्ट नहीं है। अतः मैं मेरे डिप्लोमा की मार्केरीट इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रही हूँ। इसके अलावा किसी प्रकार की सूचना या कोई दस्तावेज की हो, जिसे मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अन्य किसी माध्यम से जमा करवाना है, तो मुझे सूचना देने की कृपा करें।	परिचय पत्र में प्रार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की DIPLOMA MARKSHEET की प्रति प्राप्त हो गई है। पूर्व में आवेदन के साथ द्वितीय वर्ष की DIPLOMA MARKSHEET की संलग्न थी अब दोनों DIPLOMA MARKSHEET प्राप्त हो गई है जिनका मिलान अग्रणी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में लगाये गये दस्तावेजों से कर लिया गया है। अतः रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
109	नरेंद्र कुमार	ARN101730	वरियता सूची में मेरे नाम के आगे रिमार्क SUBJECT TO VERIFICATION FOR 12 BOARD लिखा हुआ है। अतः उक्त रिमार्क से संबंधित संचित/आवश्यक दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न कर सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में मेरी पात्रता हेतु आपकी सेवा में प्रस्तुत किए जा रही हैं।	अग्रणी द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रस्तुत अंकतालिका बोर्ड ऑफ इन्टरमिडियेट एजुकेशन अजमेर, नामापत्ती हैदराबाद की प्रस्तुत की गई है किन्तु बीएसईआर, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में बोर्ड ऑफ इन्टरमिडियेट एजुकेशन, नागार्जुन नगर, विजयवाड़ा को मान्यता प्रदान की गई है। अग्रणी द्वारा 12वीं परीक्षा वर्ष 2013 में उत्तीर्ण की है तत्समय बीएसईआर, अजमेर की अनुदेशिका में दिया गया पता नामापत्ती हैदराबाद का ही है। अतः रिमार्क हटाया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
110	अंकिता गुर्जर	ARN107110	मेरा रेडियोग्राफर सत्यापन दिनांक 22.08.2023 को आपके कार्यालय में हुआ था उस समय मेरे भाए ओवीसी (एमवीसी) किंगलेयर का प्रमाण पत्र था। जबकि मैं नॉन कीमलेयर ओवीसी (एमवीसी) की हूँ। प्रार्थी को ई-निवृत्त फायदे की गलती के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। मैंने दिनांक 28.08.2023 की नवीनतम नॉन किंगलेयर का प्रमाण पत्र ओवीसी(एमवीसी) बनवाकर दिनांक 08.09.2023 को आपके कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करवा दी थी एवं वेबसाइट पर दिनांक 18.09.2023 को परिचय पत्र अपलोड करवा दी थी उसके साथ एक प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी अपलोड किया था। जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। आपसे नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का अंतिम गैरिड की सूची बनाते समय एमवीसी महिला नॉन किंगलेयर श्रेणी की गानकर वरीयता का निर्धारण करे व आगामी प्रक्रिया में शामिल करें।	अग्रणी द्वारा स्वयं रवीकार किया गया है कि यह अंतरिम वरीयता सूची में क्रम संख्या 581 पर उनका चयन किया गया है। संभवतया अंतरिम वरीयता सूची पर परिचय पत्र प्रार्थी की थी जिसके कारण अग्रणी ने परिचय पत्र प्रस्तुत की गई है। अग्रणी को पूर्व से ही एमवीसी एनसीएल वर्ग में माना जाकर उनका चयन एमवीसी एनसीएल महिला वर्ग में चयन किया गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
111	अविनाश सैदावत	ARN102082	प्रार्थी ने परिचय पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि रिमरन रघुवंशी जिसका आवेदन क्रमांक ARN105475 है। सामान्य कटेगिरी की महिला है, जिसकी कटऑफ 51,730 है जबकि सामान्य महिला वर्ग की कटऑफ 51,876 है। अतः इसकी जांच कर बाहर करने हेतु परिचय पत्र।	अंतरिम चयन सूची में अग्रणी अनुसार चूंकि महिलाओं की संख्या अधिक है इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कटऑफ से कम प्रतिशत वाली महिला का चयन हो गया है। सामान्य श्रेणी के रिक्त पद भरते समय सामान्य महिला के पद पहले भरे जाने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। जिसे अंतिम चयन सूची में जारी करते समय दुरुस्त कर लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
112	मुस्मान	ARN109154	प्रार्थी ने परिचय पत्र प्रस्तुत कर बताया है कि रिमरन रघुवंशी जिसका आवेदन क्रमांक ARN105475 है। सामान्य कटेगिरी की महिला है, जिसकी कटऑफ 51,730 है जबकि सामान्य महिला वर्ग की कटऑफ 51,876 है। अतः इसकी जांच कर बाहर करने हेतु परिचय पत्र।	अंतरिम चयन सूची में अग्रणी अनुसार चूंकि महिलाओं की संख्या अधिक है इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कटऑफ से कम प्रतिशत वाली महिला का चयन हो गया है। सामान्य श्रेणी के रिक्त पद भरते समय सामान्य महिला के पद पहले भरे जाने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। जिसे अंतिम चयन सूची में जारी करते समय दुरुस्त कर लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
113	नधीन बुंदेला	ARN102866	सीफू द्वारा जारी विज्ञापन में नियम क्रमांक 6 के अनुसार महिला आवेदकों को उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त रहे पदों को उच्च वर्ग के पुरुष आवेदकों द्वारा भरा जाना वर्णित है। जबकि 01.10.23 में जारी की गई अंतरिम वरियता सूची में उपरोक्त नियम का प्रालन नहीं हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि महिला आवेदकों के रिक्त रहे पदों को उच्च वर्ग के पुरुष आवेदकों को देने की कृपा करें।	कार्यालय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जारी अंतरिम वरीयता सूची में शेरदर अनुसार महिला अग्रणी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति रिक्त रहे पदों को उच्च वर्ग के योग्य पुरुष अग्रणी से भरा गया है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
114	सचिन कुत्तल	ARN112938	अग्रणी द्वारा कोई परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।	अग्रणी द्वारा कोई परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं की गई अपितु सचिन कुत्तल के दस्तावेज संलग्न किये हैं जिसका कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

122	धीरज सैनी	ARN111848	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर रिट याचिका संख्या 0708/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में दरतावेज सत्यापन में नाम देने का उल्लेख करते हुये स्वयं के प्रांतांक प्रतिशत 51.599 ओबीसी एनसीएल श्रेणी में फटऑफ 48.784 से अधिक होने के बावजूद अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने बावत परिवेदना पर ध्यान देने का आग्रह किया है।	अभ्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर गर्ती 2023 में आईसी संख्या ARN111848 द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया। अभ्यर्थी ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा जारी बीएससी तृतीय वर्ष रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स की अंकतालिका संलग्न की है किन्तु अभ्यर्थी का आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन नहीं है। विज्ञापित की शर्तों के अनुसार आवेदन से पूर्व की तिथि का आरपीएमसी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक था। इस प्रकार अभ्यर्थी इस शर्तों हेतु पात्र होना नहीं पाया गया।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
123	जितेन्द्र कुमार प्रजापत	ARN114006	माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 3240/2023 के अधीन दरतावेज सत्यापन कराया गया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित कर सीट रिजर्व रखने हेतु निवेदन किया है।	माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में अभ्यर्थी को गर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया गया है। किन्तु अभ्यर्थी का आरपीएमसी द्वारा दी गई सूचना अनुसार आवेदन की अंतिम दिनांक तक रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा चुका है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
124	शर्मिला	ARN112520	प्रार्थी ने परिवेदना दी है कि आरपीएमसी में तकनीकी खराबी के कारण रजिस्ट्रेशन/एनसॉलमेंट नहीं हुआ है। अतः वक्त दिया जाये।	आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को पात्र अभ्यर्थियों की श्रेणी में नहीं गना गया है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
125	प्रियदर्शनी गंगवाल	ARN120387	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के आरपीएमसी का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस की मांग की है।	अभ्यर्थी का परिणाम आरपीएमसी से रजिस्ट्रेशन की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण रोका गया था। अब आरपीएमसी द्वारा अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन आवेदन की अंतिम तिथि तक नहीं होने की सूचना से अवगत कराया गया है। इस प्रकार विज्ञापित की शर्तों एवं सी.बी. रिट याचिका संख्या 252/2019 राजस्थान सरकार बनाम सी.बी. में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन आवेदन से पूर्व की तिथि का होना आवश्यक था। अतः अभ्यर्थी सहायक रेडियोग्राफर गर्ती 2023 हेतु पात्र नहीं है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
126	आदर्श ऐरोन	ARN106715	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत जारी अंतरिम सूची में परिणाम रोके जाने का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बावत निवेदन किया है।	प्रार्थी द्वारा SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY UTTARAKHAND से B.Sc Medical Technology (Radiography & IMAGING) कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अत्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
127	अशोक भाटी	ARN109066	मेरे सहायक रेडियोग्राफर पद पर आवेदन किया था, जिसकी अंतरिम वरीयता सूची में चयन हो गया है। मेरा आवेदन क्रमांक ARN109066 है, जिसका परिणाम रोका गया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे मेरे परिणाम रोकने का कारण अग्रगत करवाने की कृपा करें।	प्रार्थी द्वारा FACULTY OF PERAMEDICAL SCIENCES MANSAROVER GLOBAL UNIVERSITY SEHORE MP BHOPAL से व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर रखी है, जिसके सत्यापन के अत्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
128	हेमन्त सिंह चंवर	ART102746	अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में परिणाम रोके जाने का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बावत निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थी द्वारा SHRI SAI NATH PARAMEDICAL COLLEGE MANDSAUR MP से व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर रखी है, जिसके सत्यापन के अत्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
129	मनोज कुमार जाखड़	ARN109655	अभ्यर्थी ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का चयन अंतरिम वरीयता सूची में होने पर परिणाम रोके जाने के संबंध में उल्लेख किया है तथा परिणाम रोके जाने के संबंध में अवगत कराये जाने बावत निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi से B.Sc (Hons.) Medical Technology in Radiography कोर्स किया गया है। का सत्यापन कराया गया है। सत्यापन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	सत्यापन रिपोर्ट अनुसार यदि दरतावेज सही पाये जाते हैं तो परिणाम जारी किया जा सकता है।
130	निकिता चौधरी	ARN109319	मेरा चयन सीफू के आदेश क्रमांक-10006/01.10.23 की अंतरिम वरीयता सूची में सहायक रेडियोग्राफर के क्र. 19 पर है। तथा मेरा परिणाम रोका गया है, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है। अतः मेरी परिवेदनाओं का निस्तारण कर चयन सूची में नाम शामिल करें।	प्रार्थी द्वारा FACULTY OF PERAMEDICAL SCIENCES MANSAROVER GLOBAL UNIVERSITY SEHORE MP BHOPAL से व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर रखी है, जिसके सत्यापन के अत्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
131	नितीश कुमार	ARN110168	सीफू द्वारा जारी 01.10.23 को सहायक रेडियोग्राफर गर्ती 2023 की अंतरिम वरीयता सूची में मेरे को परिणाम रोके गये अभ्यर्थियों में दर्शाया गया है। अतः माननीय से मेरा निवेदन है कि मेरे परिणाम को बहाल कर जल्द से जल्द अंतिम वरीयता सूची/पदस्थापन में सम्मिलित करने का श्रम करें एवं रोकने के कारणों से अवगत करवाये।	प्रार्थी द्वारा UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY LUCKNOW (U.P) से Diploma in X-RAY Technician का कोर्स किया गया है, जिसके सत्यापन के अत्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

132	नितेश शुभार	ARN109483	सीफू द्वारा जारी 01.10.23 को सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की अंतरिम बरियता सूची में मेरे को परिणाम रोके गये अर्थार्थियों में दर्शाया गया है। अतः माननीय से मेरा निवेदन है कि मेरे परिणाम को बहाल कर जल्द से जल्द अंतिम बरियता सूची/पदस्थापन में सम्मिलित करने का श्रम करें एवं रोकने के कारणों से अवगत करवाये।	प्राथी द्वारा UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY LUCKNOW (U.P) से Diploma IN X-RAY Technician का कोर्स किया गया है, जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
133	नितेश मोदी	ARN107472	अर्थार्थी द्वारा परिशेदना प्रस्तुत कर अंतरिम बरियता सूची में परिणाम रोके जाने का उल्लेख करते हुये परिणाम रोके जाने के कारण से अवगत कराने बावत् निवेदन किया गया है।	प्राथी द्वारा All India Institute Of Medical Sciences से B.Sc.(H) Medical Technology in Radiology का कोर्स किया गया है, जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	सत्यापन रिपोर्ट अनुसार यदि दस्तावेज सही प्राये जाते हैं तो परिणाम जारी किया जा सकता है।
134	राहुल सगाडिया	ART109395	प्राथी का परिणाम रोका गया है, को अंतरिम बरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु	प्राथी द्वारा FACULTY OF PERAMEDICAL SCIENCES MANSAROVER GLOBAL UNIVERSITY SEHORE MP BHOPAL से व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर रखी है, जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
135	प्रदीप कुलाल	ART109704	प्राथी का परिणाम रोका गया है, को अंतरिम बरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु	प्राथी द्वारा FACULTY OF PERAMEDICAL SCIENCES MANSAROVER GLOBAL UNIVERSITY SEHORE MP BHOPAL से व्यावसायिक योग्यता अर्जित कर रखी है, जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
136	प्रदीप शीमा	ARN110398	मेने दिनांक 18.08.23 को आवेदन किया, जिसमें मेरे प्राप्तांक 46.246 है। दिनांक 18.08.23 को दस्तावेज सत्यापन करवाया और सीफू द्वारा जारी 01.10.23 को सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की अंतरिम बरियता सूची में मेरा परिणाम रोका गया है। मेरी व्यवसायिक योग्यता एम्स मुम्बैनगर से की है। और आरपीएनसी से दिनांक 08.01.23 को पंजीकृत हूँ। मैं राजस्थान की निवासी हूँ। अतः माननीय से मेरा निवेदन है कि मेरे परिणाम के बारे में अवगत करवाने की कृपा करें।	प्राथी द्वारा All India Institute Of Medical Sciences से B.Sc.(H) Medical Technology in Radiology का कोर्स किया गया है, जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
137	राजवीप वर्मा	ARN105751	दिनांक 01.10.23 को सहायक रेडियोग्राफर का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें मेरा परिणाम रोका गया है, परन्तु परिणाम रोकने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि मैं सीमा का धाना निवासी हूँ। मेने एम्स मुम्बैनगर से B.Sc (Hons.) Medical Technology in Radiography कोर्स किया हुआ है। मेरा मेरामेडिकल काउंसिल से मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दिनांक 23.08.23 को दस्तावेज सत्यापन हो चुका है। अतः निवेदन है कि मेरे परिणाम पर लगी रोक को हटाने की कृपा करें।	प्राथी द्वारा All India Institute Of Medical Sciences से B.Sc.(H) Medical Technology in Radiology का कोर्स किया गया है, जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
138	राजेंद्र कुमार चौधरी	ARN105688	प्राथी का अंतरिम बरियता सूची में नाम आ चुका है। मगर परिणाम रोका गया है। अतः उचित मार्गदर्शन देवे और प्राथी का समाधान करके उपकार करें।	प्राथी द्वारा MADHYA PRADESH MEDICAL SCIENCE UNIVERSITY JABALPUR M.P से Diploma of Xray Radiographer Technician कोर्स किया गया है जिसके सत्यापन के अध्याधीन परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
139	रमेश नवल	ARN114944	मेने Mansarovar Global University Bilkisganj Sehore (M.P) Lks Diploma of Xray Radiographer Technician कोर्स किया है। मेरा मेरामेडिकल काउंसिल से मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सीफू में दस्तावेज सत्यापन करवाने के बाद अज्ञात कारणों से मुझे ब्लॉक में डाल दिया गया है। समस्त दस्तावेज दोबारा सबमिट करता हूँ। इस आशा के साथ मेरा नाम आपस में लिस्ट में डालेंगे।	प्राथी द्वारा Mansarovar Global University Bilkisganj Sehore (M.P) से Diploma of Xray Radiographer Technician कोर्स किया गया है जिसके सत्यापन के अध्याधीन अर्थार्थी का परिणाम रोका गया है। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
140	रवि कुमार	ARN110172	सीफू द्वारा जारी 01.10.23 को सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की अंतरिम बरियता सूची में मेरे को परिणाम रोके गये अर्थार्थियों में दर्शाया गया है। अतः माननीय से मेरा निवेदन है कि मेरे परिणाम को बहाल कर जल्द से जल्द अंतिम बरियता सूची/पदस्थापन में सम्मिलित करने का श्रम करें एवं रोकने के कारणों से अवगत करवाये।	प्राथी द्वारा UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY LUCKNOW (U.P) से Diploma IN X-RAY Technician कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन अर्थार्थी का परिणाम रोका गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।


141	श्रीचन्द्र श्रीवास्तव	ARN115624	प्रार्थी ने सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु आवेदन किया था, जिसका परिणाम दिनांक 01.10.23 को घोषित किया गया। उक्त परिणाम में प्रार्थी का क्रमांक 38 पर को रोकना जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि घोषित उक्त परीक्षा परिणाम में प्रार्थी सफल घोषित हैं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये यथा शीघ्र नियुक्त प्रदान करने की कृपा करें।	प्रार्थी द्वारा UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY LUCKNOW (U.P) से Diploma IN X-RAY Technician कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन अग्र्यर्थी का परिणाम रोकना गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
142	सौरव सिंह चौधरी	ARN117786	मैं विज्ञापित में दर्शायी गई सभी शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं धारित करता हूँ परन्तु फिर भी शीघ्र द्वारा जारी 01.10.2023 को सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की अंतिम वरीयता सूचि में मेरा नाम परिणाम रोकने गये अभ्यर्थियों में दर्शाया गया है। अतः श्रीमानजी से मेरा निवेदन है कि मेरे परिणाम को बहाल कर जल्द से जल्द अंतिम वरीयता/पदस्थापन में सम्मिलित करने का श्रम करें तथा मुझे अवगत कराने का कष्ट करें की मुझे वचन रोकने गये परिणाम अभ्यर्थियों में शामिल किया गया।	प्रार्थी द्वारा UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY LUCKNOW (U.P) से Diploma IN X-RAY Technician कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन अग्र्यर्थी का परिणाम रोकना गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
143	सुरेश यादव	ARN107556	अग्र्यर्थी द्वारा परियोजना प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में परिणाम रोकने जाने का उल्लेख करते हुये परिणाम रोकने जाने के कारण से अवगत कराने मागत निवेदन किया गया है।	प्रार्थी द्वारा All India Institute of Medical Sciences (Allms) New Delhi से B.Sc (Hons.) Medical Technology in Radiography कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन अग्र्यर्थी का परिणाम रोकना गया है। सत्यापन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	सत्यापन रिपोर्ट अनुसार यदि दरतावेज सही पाये जाते हैं तो परिणाम जारी किया जा सकता है।
144	दिनोद कुमार	ARN102056	मैंने सहायक रेडियोग्राफर के पद पर आवेदन किया था। जिसकी अंतरिम वरियता सूची में चयन हो गया है। मेरा आवेदन क्रमांक ARN102056 है जिसका परिणाम रोकना गया है। श्रीमानजी से निवेदन है कि मुझे मेरा परिणाम रोकने का कारण अवगत करवाने की कृपा करें।	प्रार्थी द्वारा Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur M.P. से Diploma of Xray Radiographer Technician कोर्स किया गया है। जिसके सत्यापन के अध्याधीन अग्र्यर्थी का परिणाम रोकना गया है। सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
145	धर्मेश कुमार	ARN100217	प्रार्थी राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी ने सहायक रेडियो ग्राफर भर्ती 2023 में विशेष योग्यजन वर्ग से आवेदन किया था। मेरी जन्म दिनांक 30.05.1998 है। ओबीसी एनसीएल। मेने दिनांक 22.08.23 को 10 बजे एसएमएस में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसके बाद 22.08.23 को 3 बजे दरतावेज सत्यापन भी करवा दिया था। अंतिम वरियता सूची 01.10.23 के अनुसार मेरा विशेष योग्यजन वर्ग की अंतिम वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः आप से निवेदन है कि मेरा नाम अंतिम वरियता सूची में नाम दर्ज वगोनाही है। कृपा करके इससे अवगत करवाये।	अग्र्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया गया है। अग्र्यर्थी की दिव्यांगता की जांच एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष कराये जाने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा इन्हे विशेष योग्यजन श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
146	हेमेश विरनोई	ARN116561	प्रार्थी राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 में विशेष योग्यजन वर्ग से आवेदन किया था। मेरी जन्म दिनांक 05.07.1997 है। ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन। मेने दिनांक 22.08.23 को 10 बजे एसएमएस में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसके बाद 22.08.23 को 3 बजे शीघ्र में उपस्थित होकर दरतावेज सत्यापन भी करवा दिया था। अंतिम वरियता सूची 01.10.23 के अनुसार मेरा विशेष योग्यजन वर्ग की अंतिम वरियता सूची में नाम नहीं है। अतः आप से निवेदन है कि मेरा नाम अंतिम वरियता सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण से अवगत करवाये।	अग्र्यर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया गया है। अग्र्यर्थी की दिव्यांगता की जांच एसएमएस चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष कराये जाने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा इन्हे विशेष योग्यजन श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।	समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


147	नासिर हुसैन	ARN115484	<p>मिने 25.6.2023 को सहायक रेडियोग्राफर पद हेतु विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया था। मिने 31.8.2023 को दस्तावेज सत्यापन करा लिया जिसके उपरान्त मेरा नाम 26.9.2023 की अनुपरिष्कार रहे अम्बर्थियों की सूची में आया। 26.9.2023 को मिने दोबारा दस्तावेज सत्यापन करवा लिया उसके बाद भी मेरा नाम जारी की गई अंतरिम चयन सूची में नहीं आया। अंतरिम तरीकता सूची में नाम शामिल कर राहत प्रदान करें।</p>	<p>मेडिकल बोर्ड, एरएएमएस अस्पताल की रिपोर्ट अनुसार अम्बर्थी ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया से पीड़ित है जिसमें कमर से नीचे का भाग लकवा पीड़ित हो जाता है। अतः दिव्यांगता के इस प्रकार के कारण यद्यपि अम्बर्थी चयन हेतु पात्र है किन्तु क्या यह इस पद के कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कर पायेगा इसका मूल्यांकन कराने के उद्देश्य से चयन कर परिणाम मूल्यांकन के अध्यायन रोकना जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>प्रस्तावानुसार अनुमोदित। समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि मेडिकल बोर्ड से स्पष्ट राय ली जाये कि अम्बर्थी सहायक रेडियोग्राफर पद के जीव चाहे के अनुसार कार्य-सम्पादन कर सकता है अथवा नहीं।</p>
148	राजाराम	ARN106518	<p>प्रार्थी ने सहायक रेडियोग्राफर पद पर अनारक्षित कैटगरी के विशेष योग्यजन कोट में आवेदन किया था। प्रार्थी को बिना वोनस 50.318 प्रतिशत था। प्रार्थी का दस्तावेज सत्यापन से पूर्व एरएएमएस जयपुर में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया। प्रार्थी का अन्तरिम सूची में नाम न होने से प्रार्थी मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान हैं।</p>	<p>अम्बर्थी द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन किया गया है। अम्बर्थी की दिव्यांगता की जाँच एरएएमएस चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड को सन्भल कराये जाने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा इन्हें विशेष योग्यजन श्रेणी में सम्मिलित किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। अम्बर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 50.318 अनारक्षित वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित है।</p>	<p>समिति द्वारा परियोजना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
149	हारिव खान	ARN118313	<p>अम्बर्थी ने परियोजना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय कोविड काल में कार्य करने वाले कॉलम में गलती से बस के स्थान नों अंकित कर दिया गया है जबकि अम्बर्थी द्वारा कोविड काल में कार्य किया गया है जिसके आधार पर 15 वोनस अंको की मांग की है।</p>	<p>अम्बर्थी को सैटेलाईट चिकित्सालय हिरणमगरी, उदयपुर में कोविड काल में दिनांक 13.12.2021 से 18.4.2022 तक कार्य करने के आधार पर 15 वोनस अंक दिए गए हैं। अम्बर्थी अन्तरिम चयन सूची में चयनित है, किन्तु अम्बर्थी का परिणाम राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सिल से पंजीयन के सत्यापन के अध्याधीन रोकना था। राजस्थान पैरामेडिकल कॉन्सिल से पंजीयन संबंधी सूचना प्राप्त हो गई है जिसके अनुसार अम्बर्थी दिनांक 20.8.2020 से पंजीकृत है। अतः अब परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>प्रस्तावानुसार अनुमोदित</p>





150	शुभम	ARN102025	अम्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि स्वयं को अंतरिम वरियता सूची में स्पोर्ट्स फेडरेशन में सम्मिलित नहीं किया गया। यदि भविष्य में द्वितीय अंतरिम वरियता सूची जारी होती है तो इंडव्यूएस श्रेणी में सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	अम्यर्थी ने इंडव्यूएस श्रेणी में आवेदन किया था अम्यर्थी के प्रतिशत प्राप्तांक 46.293 है जो अंतरिम चयन सूची की इंडव्यूएस श्रेणी की कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित है। अम्यर्थी द्वारा जारी अंतरिम वरियता सूची के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है जबकि आगामी किसी जारी होने वाली सूची में इंडव्यूएस श्रेणी में चयन करने की मांग की है जिस पर वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार मान्य नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
151	अशोक	ARN118582	अंतरिम वरियता सूची में स्पोर्ट्स की कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी अंतरिम वरियता सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अम्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर मर्ता 2023 में स्पोर्ट्स श्रेणी में आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु स्पोर्ट्स श्रेणी में ही आमंत्रित किया गया था किन्तु अम्यर्थी को द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2023 को जारी किया गया जो विज्ञापित की शर्तों के अनुसार आवेदन से पूर्व की तिथि का होना आवश्यक था। अतः मान्य नहीं है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
152	अशोक कुमार वाजिया	ARN115549	अंतरिम वरियता सूची में स्पोर्ट्स की कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अम्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर मर्ता 2023 में स्पोर्ट्स श्रेणी में आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु स्पोर्ट्स श्रेणी में ही आमंत्रित किया गया था किन्तु अम्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ऑलिम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (Affiliated) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अम्यर्थी को स्पोर्ट्स श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
153	हितेश	ARN119677	अंतरिम वरियता सूची में स्पोर्ट्स की कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अम्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर मर्ता 2023 में स्पोर्ट्स श्रेणी में आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु स्पोर्ट्स श्रेणी में ही आमंत्रित किया गया था किन्तु अम्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ऑलिम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (एफिलियेटेड) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अम्यर्थी को स्पोर्ट्स श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
154	इमरान पठान	ARN112877	अम्यर्थी द्वारा स्वयं के द्वारा खेल कोर्ट में दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के उपरान्त भी अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है। अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में श्री शुभम, संगीता एवं सौरभ नाम अम्यर्थियों के नाम अंकित किये गये हैं।	अम्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर मर्ता 2023 में स्पोर्ट्स श्रेणी में आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु स्पोर्ट्स श्रेणी में ही आमंत्रित किया गया था किन्तु अम्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ऑलिम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (एफिलियेटेड) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अम्यर्थी को स्पोर्ट्स श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।	समिति द्वारा परिवेदना खारिज किये जाने का निर्णय लिया गया।
155	मंगीलाल	ARN116683	प्रार्थी ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की एक लिस्ट सत्यापन की है, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का नाम है।	अम्यर्थी द्वारा सहायक रेडियोग्राफर मर्ता 2023 में स्पोर्ट्स श्रेणी में आवेदन किया गया था एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु स्पोर्ट्स श्रेणी में ही आमंत्रित किया गया था। इंडियन ओलिम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त पत्रानुसार आईसी ऑफ़ी फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन ओलिम्पिक एसोसिएशन से एफिलियेटेड नहीं है। अम्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ऑलिम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध (एफिलियेटेड) फेडरेशन का नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अतः अम्यर्थी को स्पोर्ट्स श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। किन्तु निति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.04.2024 में लिये गये निर्णयानुसार इस संबंध में अम्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर राज्य क्रीडा परिषद से भी शर्त प्राप्त लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित


166	सौरभ चंगा	ARN104349	<p>मेरा आवेदन उत्कर्म खिलाड़ी वर्ग/इंडल्यूएस वर्ग/सामान्य वर्ग में किया गया था। शिफ्ट द्वारा घोषित किये गये परिणाम में मेरा चयन नहीं किया गया जबकि दस्तावेज सत्यापन में मेरे द्वारा उचित श्रेणी के अनुसार ओलम्पिक एंटीडोपिंग एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त खेल तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का भाग लिया प्रमाण पत्र, इंडल्यूएस सर्टिफिकेट तथा वीएमओयू द्वारा 12वीं की अंकतालिका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाणित मय दस्तावेज संलग्न किये।</p> <p>दस्तावेजों के आधार पर मैं अंतिम चयन होने की योग्यता रखता हूँ। परिवेदना में पुनः सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि के साथ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर रहा हूँ। परिवेदना को स्वीकार करते हुए सहायक रेडियोघाफर भर्ती में अंतिम चयन सूची में मेरा नाम शामिल करवाने की अनुमति करें।</p>	<p>अभ्यर्थी ने आर्ची एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहायक सचिव के हस्ताक्षरों द्वारा जो कोई भी इरादे, संगठित है उसके लिये दिनांक 04.01.2023 को जारी पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया है जिसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इन्होंने पत्र में दी गई दिनांक 27.10.2011 से 31.10.2011 को होशंगाबाद में आयोजित 18वीं सहारा सीनियर इंडियन राउंड (पुरुष व महिला) राष्ट्रीय आर्ची चैम्पियनशिप 2010 में किस रूप में भाग लिया। अभ्यर्थी द्वारा कोई भी खेल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने वाली संस्था का इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन एफिलिएटेड होना आवश्यक है।</p>	<p>समिति द्वारा परिवेदना स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>
-----	-----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------


संयुक्त शासन सचिव
चि. एवं स्वा. (ग्रुप-3) विभाग



सदस्य सचिव
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ,
राजस्थान जायपुर



निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान



रजिस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल
कौंसिल


संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय


रजिस्ट्रार,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान


उप विधि परामर्शी,
चि. एवं स्वा. विभाग,
शासन सचिवालय


उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय